राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक: 3] दसवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का दूसरा दिवस संख्या [संख्या : 2

शुक्रवार,

दिनांक 23 सितम्बर, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

मांग
एम्फोर्ट एग्रोफाइनेन्स लि. द्वारा कथित धोखाधड़ी की सी.बी.आई से जांच

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे।

जब तक सी.बी.आई. से जांच नहीं करवाई जाएगी तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। . . . .(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में आकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। एम्फोर्ट में 40 करोड़ का घोटाला है, अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं होगी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं होगी, सी.बी.आई. से जांच करवाई जाए, किसानों का पैसा वापस करवाया जाए तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई नोटिस नहीं है आपका, कोई एडजोर्नमेंट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपने कोई मुद्दा नहीं रखा है। (व्यवधान). . . . . मेरी समझ में नहीं आ रहा है. . . . . . मैं इस सदन की गरिमा को रखूंगा। माननीय सदस्य कितने भी उत्तेजित हों, वे चाहे मेरी पिटाई भी करेंगे तो भी मैं सदन की गरिमा को रखूंगा। ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : हम आपकी पिटाई कभी नहीं करेंगे . . . .(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है. . . . . . .(व्यवधान). . . . . . . और चाहता हूँ . . . . .(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : . . . . प्रकट कर रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूँ इस राजस्थान विधान सभा के सदस्य के नाते + + + व्यवहार नहीं करें। प्रजातांत्रिक तरीकों से अपना विरोध प्रकट करें, मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा। यदि मेरे सामने कोई बोलने को आयेंगे, मोशन लाऐंगे तो आपको बोलने का मौका दूंगा।......(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(2)

श्री लक्ष्मण सिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप इश्यू को दवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है कि प्रजातांत्रिक तरीकों से अपना विरोध प्रकट करें। .....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह :तरीके से जनता के हितों की रक्षा करेंगे।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे सामने .. ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : पहले पुलिस को बाहर निकालो।......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले पुलिस को विधान सभा से बाहर निकालो।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपने स्थान पर बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : पुलिस को विधान सभा से बाहर निकालो, पुलिस को विधान सभा से बाहर निकालो, पुलिस को विधान सभा से बाहर निकालो।......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारे हिन्दुस्तान की जनता आपके कल के कार्यकलापों पर + + + रही है।......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : पुलिस का अत्याचार नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : इस विधानसभा की आलोचना आपके कर्मों की वजह से हो रही है।....(व्यवधान) आपके इस व्यहार के कारण इस विधान सभा की गरिमाओं को ठेस लग रही है। यह जो आप इस पर थेस लगा रहे हैं, यह आपकी विधानसभा की गरिमा पर ठेस लग रही है। माननीय सदस्य, मेरा फिर आपसे यह निवेदन है ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : सी.बी.आई. से जाँच कराओ, सी.बी.आई. से जांच कराओ।

श्री अध्यक्ष :प्रजातांत्रिक पद्धति से अपनी बात कहें। प्रजातांत्रिक पद्धति से आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं आपको इसका अवसर दूंगा। ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : सी. बी. आई से जांच कराओ। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार से प्रजातांत्रिक पद्धति को मत तोड़िये। इस विधान सभा की गरिमा को बनाकर रखें ....(व्यवधान) मेरा निवेदन है। ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : राजस्थान की गरिमा को नीचे किया है, मुख्यमंत्री ने कौनसी गरिमा बनायी .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि + + + माननीय सदस्य, माननीय सदस्य + + + ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : विधान सभा नहीं सोचना है ......(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : कानून के साथ खिलवाड़ मत करिये, जो अधिकार प्राप्त हैं .....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, आप नहीं सोचते हैं और एक व्यक्ति विशेष की रक्षा कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति की रक्षा नहीं करें, किसानों के हितों के बारे में सोचें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह मत करिये, डोंट डू दिस.....(व्यवधान) हाथ मत लगाइये। आप कहिए, टच मत करिये। माननीय सदस्य, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कानून हाथ में ले रहे हैं, आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : कांग्रेस हमेशा अच्छा व्यवहार करती आयी है।

श्री अध्यक्ष :प्रजातंत्र ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है।......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : लोकसभा में विपक्ष ने कैसा व्यवहार किया ?

श्री अध्यक्ष : आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप कर्मचारियों पर आक्रमण करें, आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप सिक्योरिटी के लोगों पर आक्रमण करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : लोकसभा में बी.जे.पी. ने कैसा व्यवहार किया ?

श्री अध्यक्ष : आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अध्यक्ष की और आसन की गरिमा को गिरायें।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम कभी भी आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सदैव आपकी गरिमा बनाये रखने में विश्वास करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा को रखिये, कृपया सदन की गरिमा को रखिये। अपनी गरिमा को मत छोड़िये। राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार का कालापृष्ठ मत बनाइए।......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह :अध्यक्ष के प्रति हमारा पूरा सम्मान है लेकिन + + + शेखावत सरकार से विरोध है, अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतिहास आपके इस आचरण पर + + + आपके इस आचरण की भर्त्सना होगी।.....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : हम अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं हैं, हम शेखावत सरकार के विरुद्ध हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रजातांत्रिक तरीके से आप अपनी बात रखिये, आप एडजोर्नमेंट लाइये आप इश्यू उठाइये, आप बहस करिये, मैं आपको बहस करने का मौका दूंगा, इनको भी दूंगा, सरकार से भी अनुरोध करूंगा। सरकार भी बोलेगी, आप भी बोलेंगे लेकिन विधिवत तरीके से....(व्यवधान) मेहरबानी करके विधिवत तरीके से आइये, अपने नेताओं का आदेश् मानिये। मुझे इस बात का खेद है कि .....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(५)

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे नेता हमारे साथ हैं। ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेताओं की बात भी नहीं मानते हैं। ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह :नेताओं का आदेश मानते हैं और मानते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष :आप मेहरबानी करके अपने नेताओं की बात मानिये। ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : हम अपने नेताओं की बात मानते हैं और मानते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्तियों से मैं महात्मा गांधी की दुहाई देकर कह रहा हूँ .....(व्यवधान) मैं महात्मा गांधी की दुहाई देकर कह रहा हूं कि मेहरबानी करके महात्मा गांधी का नाम रखिये। ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : महात्मा गांधी ने भ्रष्ट आचरण करने वालों के विरुद्ध संघर्ष किया .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :महात्मा गांधी को याद करिये। ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + +

श्री लक्ष्मण सिंह : + + +...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महात्मा गांधी को याद करिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : महात्मा गांधी की आत्मा को मत सताइये। ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : महात्मा गांधी को गोली किसने मारी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : + + + प्रजातंत्र को बचाइये। ......(व्यवधान) इस देश में प्रजातंत्र को बचाइये।

श्री लक्ष्मण सिंह : + + + आज आप उन महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं कितनी + + + की बात है।

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करिये।

श्री हरिसिंह : विधान सभा से पुलिस हटाइये।

श्री अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये, आपकी बात जो कहनी है, कृपया अपने आसन से कहिये, मैं आपको सुनूंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा। मेहरबानी करके मुझे सुनिये और अपनी बात प्रजातांत्रिक तरीके से कहिये। माननीय सदस्य ....(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप निर्देश दीजिये कि सी.बी.आई. से जांच करायेंगे और कोई मांग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सदन की गरिमा मत तोड़िये, भविष्य के लिये यह उदाहरण ठीक नहीं है। इस सदन की गरिमा रखिये। इस सदन की गरिमा सब पार्टियों ने रखी है, कांग्रेस पार्टी ने भी रखी है, अब आप इस सदन की गरिमा को मत तोड़िये। आप अपने नेताओं की .....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह :आपने लोक सभा में कितनी गरिमा रखी + + + ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेताओं के आदेश मानिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने लोक सभा में गरिमा को मिट्टी में मिला दिया।

श्री अध्यक्ष : आप + + + ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने कर्नाटक में क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : इस + + + आप मनमानी मत करिये मेहरबानी करके .....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके सदन की गरिमा रखिये। (व्यवधान) .... आप जब तक वहां पर बैठकर अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक सरकार का जवाब हो नहीं सकता। आपको विधिवत अपनी बात करने का अधिकार है, मैं आपको उसका मौका दूंगा, सरकार की ओर से जवाब आयेगा लेकिन इस तरह से करेंगे ..... (व्यवधान). . . . . आप जोशीजी की बात मानिये। मेरा निवेदन है कि जोशीजी की बात मानिये, आप परसरामजी की बात मानिये, श्री चन्दनमलजी बैद की बात मानिये....(व्यवधान) आप बैदजी की बात मानिये, आप जोशी जी की बात मानिये....(व्यवधान) मैं इस सदन की गरिमा रखूंगा। आप चाहे मुझ पर आक्रमण करें तो भी मैं सदन की गरिमा रखूंगा, मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, आपको बोलने का अवसर दूंगा, आप यदि कोई सवाल उठायेंगे तो उस सवाल पर चर्चा करवाऊंगा। इसलिये मैं सदन की गरिमा रखूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि सदन की गरिमा रखिये। मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा को मत तोड़िये। महात्मा गांधी को याद करिये, उनका स्मरण करिये। .....(व्यवधान) महात्मा गांधी की नीतियों को याद करिये .....(व्यवधान) अब आप महात्मा गांधी को भी नहीं मानते तो आप मुझे भी नहीं मानेंगे। ......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी ? यह जरा बता दीजिये .....(व्यवधान) + + + राजस्थान को भ्रष्ट बना रहे हो। .....(व्यवधान) किसानों को लूट रहे हो, थोड़ी सी भी + + + नहीं है। राजस्थान के किसानों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये न, क्या कर रहे हैं ? ....(व्यवधान) आप जब तक बैठकर .....(व्यवधान) क्या करूं मैं ? ....(व्यवधान) What can I do? .....(व्यवधान) जब तक आप बैठकर अपनी बात नहीं कहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ ? ऐसे हल्ले गुल्ले में तो समझ में आता नहीं .....(व्यवधान) आप एक माननीय सदस्य की तरह व्यवहार करिये। ..... (व्यवधान) आपको जिस जनता ने चुना है वह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(6)

(श्री अध्यक्ष)

आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। आपके इस व्यवहार से उसकी आत्मा को बड़ी चोट पहुँच रही है। ....(व्यवधान) जनता का ध्यान करिये, अपने मतदाता का ध्यान रखिये। ....(व्यवधान) उन्होंने आपको अच्छा आदमी समझकर चुना है, आपको भला आदमी समझकर चुना है, आपको एक पढ़ा लिखा, शिक्षित आदमी समझकर चुना है। जनता ने इसीलिये आपको चुना है कि आप जनता की बात अपने शब्दों में प्रकट करेंगे।....(व्यवधान) आज आप वह नहीं कर रहे हैं, जनता की बात कह नहीं रहे हैं।....(व्यवधान) इसलिये मेहरबानी करके अपनी जगह पर बैठिये। ....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये। ....(व्यवधान) हम कांग्रेसजन अनुशासन में विश्वास करते हैं लेकिन राजस्थान के किसानों का....(व्यवधान) भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं मुख्य मंत्री पर उन्होंने ....(व्यवधान) किसानों का पैसा लौटाया जाए, मुख्यमंत्री इस्तीफा देवें और सी.बी.आई. से जांच हो।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री .....(व्यवधान) आरोप लगे हैं तो राजस्थान की पुलिस से क्या अपेक्षा की जा सकती है। इसीलिये इसकी जांच सी.बी.आई. से करायी जाए। जब तक राजस्थान के किसानों पर यह जो अन्याय हो रहा है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया + + + मत बनिये मेरी बात से....(व्यवधान) + + + ही बनना है तो महात्मा गांधी के बन्दर की तरह बनिये। ....(व्यवधान) बुरी बात मत सुनिये, बुरी बात मत बोलिये। .....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप उठकर घोषणा कर दीजिये कि सी.बी.आई. से जांच करायी जाएगी। इस मांग के बिना यह आन्दोलन चलता रहेगा ...(व्यवधान) दो दिन चले, चाहे तीन दिन चले, आन्दोलन ही चलता रहेगा। .. ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप थक गये हों तो थोड़ी देर शान्ति से सांस ले लीजिये।....(व्यवधान) इसलिए आप सांस ले लीजिए....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, न्याय करें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : + ++ क्यों कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : मैं न्याय करने के लिये तैयार हूँ।....(व्यवधान) आपकी बात सुनी जाएगी। ....(व्यवधान) आप अपने स्थान पर बैठिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : + + + का बचाव मत कीजिये। अध्यक्ष महोदय, हम आपके हितों में ही सब कुछ कर रहे हैं। .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समझाओ इन्हें। (व्यवधान)..... + + +

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार में सारे हिन्दुस्तान को डुबो दिया है। + + + आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : किसानों के हितों में तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : विधान सभा के ....(व्यवधान) वाले कांग्रेसियों ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन की व्यवस्था बनाये रखें। आप व्यवस्था मत तोड़ें, व्यवस्था बनाये रखें। .....(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.21 बजे 12.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

पुन : समवेत होने पर

(12.30) बजे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक निवेदन है। कृपया मेरा एक निवेदन सुनें। कृपया एक निवेदन सुन लें। कल से यह अपना चल रहा है और विधान सभा में टकराव का रास्ता बन्द होना चाहिए इसलिये मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप बातचीत करें और सदन की कार्यवाही मैं डेढ़ घंटे के लिये पुनः स्थगित करता हूँ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.31 बजे से 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

पुन : समवेत होने पर

(14.00)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप लोग बिराजें। बिराजें। अन्दर बातचीत चल रही है, विधान सभा में आने के बाद में.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आपकी और हमारी बातचीत कब होगी ?

श्री सभापति : जी हां, हो रही है अभी, आप बिराजें। बाहर जो आन्दोलन चलते हैं, सदन में आकर वह टकराव बन्द होकर उसका कोई रास्ता निकलता है इसलिये वहां अन्दर माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में नेताओं का वार्तालाप चल रहा है। इसलिये मैं समझता हूँ कि दो घंटे के लिए सदन की कार्यवाही, चार बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 14.01 बजे 16.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

पुन : समवेत होने पर

(16.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : बिराजें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

माननीय सदस्य, कुछ वार्ता...

अनेक माननीय सदस्य : सी.बी.आई. से जांच कराओ

श्री सभापति : कुछ वार्ता चल रही है।

एक माननीय सदस्य : वार्ता कहां चल रही है, टूट गयी/

एक माननीय सदस्य : चल रही है।

श्री सभापति : एक दो कुछ माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के लिये है, आप लोग कहें तो उनको अनुमति के लिये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यदि अनुमति हो, आगे बोलो ......(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हां, पढ़ लें, पढ़ लें।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री प्रताप सिंह सिंघवी,

सदस्य, विधान सभा को दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा ने आंखों के इलाज हेतु हैदराबाद जाने के कारण दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई,

सदस्य, विधान सभा को दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक,

सदस्य, विधान सभा को दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से 27 सितम्बर, 1994 तक विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से 27 सितम्बर, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कब से कब तक मांगी गयी है राजेन्द्र पारीक द्वारा ?

श्री सभापति : 27 सितम्बर तक मांगी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां तो 28 को वह आ जाएंगे फिर।

श्री नन्दलाल व्यास,

सदस्य, विधान सभा को दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक

22 सितम्बर, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

.....(व्यवधान)......

सदन की कार्यवाही आधे घंटे लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.03 बजे से 16.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

पुन : समवेत होने पर

(16.30)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1994 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.32 बजे मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित/अतारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में प्रस्तावित उद्योग सेन्टर

26. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रीको द्वारा प्रदेश में कितने नये उद्योग सेन्टर लगाये जाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1993-94 में रीको द्वारा कितने नये उद्योग लगवाये गये तथा उसमें कितनी पूंजी निवेश की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 1993-94 में रीको द्वारा कितने पुराने उद्योग लगवाये गये तथा कितने इस वर्ष लिक्विडेशन में गये या बंद हो गये ?

(4) वित्तीय वर्ष 1993-94 में रीको को कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा प्रदेश में जो नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) वित्तीय वर्ष 93-94 में रीको द्वारा 42 नये उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति की गयी जिसमें अनुमानित विनियोजन रु. 14956.10 लाख हुआ है। इकाइयों का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रीको द्वारा वित्त पोषित इकाइयों में से 10 इकाइयाँ वर्ष 93-94 में अधिग्रहित की गयी है व बंद है जिनकी सूची परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) वित्तीय वर्ष 93-94 अंकेक्षित लेखों के आधार पर राशि 1100.30 (राशि लाखों में) का लाभ हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधा सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भीलवाड़ा के रैफरल चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

27. **श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में स्थित सभी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रैफरल चिकित्सालय रायपुर में लम्बे समय से एक भी चिकित्सा अधिकारी कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(3) क्या यह सही है कि गंगापुर रैफरल अस्पताल में नियुक्त एकाधिक चिकित्सा अधिकारी, जयपुर आदि बड़े शहरों में अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या माकूल व्यवस्था करने जा रही है?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में स्थित चिकित्सालयों में पदस्थापित चिकित्सा अधिकारियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रेफरल चिकित्सालय, रायपुर में दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ मैडिसन एवं सर्जरी तथा दो पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के विरुद्ध एक-एक चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है। दो चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन माह सितम्बर, 1994 में किया गया है, पदस्थापित चिकित्सकों को चार सप्ताह में कार्यग्रहण करना है।

(3) रेफरल अस्पताल, गंगापुर में कार्यरत चिकित्सकों में से किसी चिकित्सा द्वारा जयपुर आदि बड़े शहरों में नर्सिंग होम चलाए जाने से संबंधित कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है।

विवरण

"भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में स्थित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण"

संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित चिकित्सकों का नाम एवं रिक्त पदों का विवरण
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर	कनि. विशेषज्ञ –4	1. मेडिसन, डॉ. सैयद अली मोहम्मद 8.7.94
		2. सर्जरी डॉ. राजकुमार लखोटिया 8.4.91 19.3.93 से अनुपस्थित
		3. शिशु रिक्त
		4. गायनी रिक्त
	वरि. चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. संजय कुमार चटर्जी पद विरुद्ध 9/94 से पदस्थापित
	चिकित्सा अधिकारी	2. डॉ. वालिस मेन्डीवा 1.6.94 से पद स्थापित (8.6.94 से अनुपस्थित)
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोशीथल	वरि. चिकित्सा अधि.	1. रिक्त
	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. जगदीशनारायण सिंह 9/94 पदस्थापित (चार सप्ताह में कार्यग्रहण करना है)

12

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर	कनि. विशेषज्ञ-2	1. मैडिसन, डॉ. शान्तिलालजी नागर, चिकित्सा अधिकारी 30.7.94 से पद के विरुद्ध पदस्थापित 2. सर्जरी, डॉ. महेन्द्र कुमार बुटोदिया, चिकित्सा अधिकारी 5.9.94 से पद के विरुद्ध पदस्थापित।
	वरि. चिकित्सा अधिकारी-2	1. डॉ. (कुमारी) सुधा पाटनी, सितम्बर, 94 से पदस्थापित (पद विरुद्ध) चार सप्ताह में कार्यग्रहण करना है। 2. डॉ. रुमान ए. राना, चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध सितम्बर, 94 से पदस्थापित (चार सप्ताह में कार्यग्रहण करना है)
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोटला	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. गोपाल राजोरा 20.5.94 से
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमली	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. गिरीश दत्ता 21.6.94 से
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रगढ़	चिकित्सा अधिकारी-2	1. डॉ. राजकुमार गुप्ता 4.4.91 2. डॉ. सुनीता पालीवाल 9/94 (चार सप्ताह में कार्यग्रहण करना है)
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाखोला	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. जयप्रकाश गुप्ता 10.9.92
8. अस्पताल, सहाड़ा	कनि. विशेषज्ञ, मेडिसन	1. रिक्त
	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. सतीश कुमार डाबी 11.3.94
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोगून्दा	चिकित्सा अधिकारी	रिक्त (डॉ. भरत सपरा 5/94 को पदस्थापित किए गए थे, परन्तु डॉ. सपरा ने त्याग-पत्र दिया)
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा	चिकित्सा अधिकारी	1. डा. रमेश वर्मा 26-7-89
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झडोल	चिकित्सा अधिकारी	1. डॉ. मनोहर बाधवानी 18.11.92
12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आशाहोली	चिकित्सा अधिकारी-2	1. डॉ. हर्षवर्धन सिन्हा 8.8.94 2. डॉ. प्रहलाद राय अग्रवाल 7/94 में ब्यावर से पदस्थापन किया गया, परन्तु डॉ. अग्रवाल द्वारा कोर्ट से "स्टे" लेने के कारण ब्यावर में ही कार्यरत है।

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सड़क मार्ग

28. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में बरसात से कुछ सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऋषभदेव से सागवाड़ा वाया भूधर, कोजावाड़ा मार्ग बहुत ही खराब हो गया है और आने-जाने के योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो उसको ठीक करवाने की विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त मार्ग कब तक आने-जाने योग्य हो जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ, जिन मार्गों पर यातायात अवरूद्ध हुआ था उनकी सूची (अ) संलग्न है।

(2) जी हाँ, ऋषभदेव से सागवाड़ा वाया भूधर कोजावाडा में 18 किलोमीटर कच्चा होने से बरसात में यातायात के योग्य नहीं रहा। इस मार्ग को ठीक कराने हेतु बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों के अन्तर्गत लिया जाकर ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसको पूर्णतया ठीक कराने हेतु लगभग 6 माह का समय लग जाएगा।

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में इस वर्ष की अतिवृष्टि से अवरूद्ध हुये मार्गों की सूची।

1. डामरीकृत मार्ग जिन पर वर्षा में कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध हो गये उन्हें तत्काल मरम्मत करा 2-3 दिवस में आवागमन हेतु दुरस्त करा दिया गया।

   (1) सिरोही कोटड़ा खैरवाड़ा डूंगरपुर सडक (राज्य उच्च मार्ग सं. 10)

   (2) खेरवाड़ा कल्यापुर मार्ग (ओ.डी.आर. 18)

   (3) ऋषभदेव से मसानों की ओबरी

2. कच्चे मार्ग जो विभाग के रख-रखाब में हैं तथा वर्षा के कारण अवरुद्ध हो गये थे उन्हें वर्षा के पश्चात् मरम्मत कराया जा सकेगा।

   (1) ऋषभदेव से सागवाड़ा की पाल वाया भूधर कोजावाड़ा सड़क (कोजावाड़ा से सागवाड़ा की पाल तक)

   (2) खैरवाड़ा जवास सुवेरी कोजावाड़ा सड़क (जवास से कोजावाड़ा तक बन्द है)

   (3) कनबई से पाटिया झांझरी सड़क

   (4) बाबलवाडा से राणी सडक

   (5) कनबई से करावाडा सडक

   (6) पालिया खेडा से बाबलवाडा सडक

इन मार्गों में इस वर्ष ऋषभदेव से सागवाडा की पाल वाया भूधर कोजावाड़ा सडक (क्रस. 1) की मरम्मत हेतु विशेष राशि की आवश्यकता होगी।

रासायनिक एवं गैस का उपयोग करने वाले उद्योगों के नक्शों की स्वीकृति

29. **श्री हीरालाल सहरिया (किशनगढ़) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रासायनिक एवं गैस का उपयोग करने वाले कारखानों के नक्शे स्वीकृत किये जाने के लिए कोई शर्तें निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं वायलर्स द्वारा शर्तों की पूर्ति पूरी नहीं होते हुए भी कारखानों के प्रोवीजनल नक्शे स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने कारखानों के नक्शे किन-किन शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कारखानों द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना कब-कब की गयी ?

(4) निर्धारित समय में शर्तें पूरी नहीं करने वाले कारखानों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रासायनिक एवं गैस उपयोग करने वाले कारखानों के नक्शे स्वीकृत किये जाने के लिए पृथक से कारखाना अधिनियम, 1948 व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में कोई शर्तें निर्धारित नहीं हैं परन्तु कारखाना अधिनियम के अध्याय 3,4,5,9 एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान कारखाना नियमों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण एवं विशेष प्रावधान निर्धारित हैं।

(2) किसी भी रासायनिक व गैस का प्रयोग करने वाले कारखानों के नक्शे प्रोवीजनल स्वीकृत नहीं किए गये हैं। लेकिन विगत तीन वर्षों में जिन कारखानों के नक्शे शर्तों सहित अनुमोदित किए गये हैं उनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) शर्तों की अनुपालना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अधिकतर सुरक्षा उपाय निरन्तर रखने होते हैं। शर्तों की अनुपालना की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान की जाती है।

(4) क्योंकि ये शर्तें सुरक्षा से सम्बन्धित हैं एवं सुरक्षा उपायों में निरन्तरता आवश्यक है। अतः शर्तें पूरी करने हेतु समय निर्धारित नहीं है। निरीक्षण के दौरान अनुपालना की स्थिति देखी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उप जिला कलक्टर, रामगंजमण्डी कार्यालय में तहसील सांगोद (कोटा) के विचाराधीन प्रकरण

30. **श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में सांगोद तहसील के कितने प्रकरण उप जिला कलक्टर, रामगंज मण्डी के यहां विचाराधीन हैं ?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी प्रति सप्ताह दो दिवस केम्प कोट सांगोद में करते हैं? यदि हां, तो क्या विचाराधीन प्रकरण की दृष्टि से यह पर्याप्त है?

(3) गत 5 वर्षों में कितनी बार उप जिला कलक्टर रामगंमण्डी ने केम्प कोर्ट में अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण भाग नहीं लिया?

(4) क्या सांगोद में सहायक जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक का नवीन कार्यालय खोला जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उप जिला कलक्टर, रामगंजमंडी के यहां तहसील सांगोद के कुल 843 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(2) यह सही है कि उप जिला कलक्टर, रामगंजमंडी प्रति सप्ताह दो दिन शुक्रवार व शनिवार को सांगोद में कैम्प कोर्ट करते हैं, जो पर्याप्त है।

(3) गत 5 वर्षों में 211 दिन कैम्प कोर्ट सांगोद में नहीं किये गये, जिसका कारण मुख्यतः उप जिला कलक्टर का चुनाव, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहना एवं वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहना रहा है।

(4) सांगोद में नवीन सहायक जिला कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक का न्यायालय सृजित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

31. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन औषधालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय, सहजरासर के वैद्य की अनुपस्थिति की शिकायतें ग्रामीणों ने कई बार की हैं? यदि हां, तो इस पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के निम्न औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं :

1. खारबारा-आयुर्वेद	25.6.94 से
2. सहजरासर-आयुर्वेद	15.7.94 से
3. सामरदा की ढाणी-आयुर्वेद	13.9.93 से
4. रामसर-आयुर्वेद	15.7.94 से
5. बल्लर-आयुर्वेद	15.7.94 से

6. करणीसर राजसर-होम्योपैथिक अगस्त, 89 से नर्स/कम्पाउण्डर का कोई पद रिक्त नहीं है।

निम्न औषधालयों में परिचारक का पद रिक्त है :

1. शेरपुरा-आयुर्वेद	9.8.92 से

(16)

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

2. कपूरीसर-आयुर्वेद 20.9.91 से

3. करणीसर राजसर, होम्योपैथिक जनवरी, 94 से।

(2) जी नहीं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

32. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वायु प्रदूषण से प्रदेश में हो रही बीमारियों के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है तथा आगे क्या-क्या कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

(3) क्या वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रदूषण नियंत्रण हेतु राज्य सरकार पूरी तरह सजग है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(क) राज. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल व वायु प्रदूषण हेतु संरक्षण (प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम, 1974) व वायु प्रदूषण नियम 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। मंडल द्वारा उद्योगों प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने हेतु बाध्य करता है तथा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण तत्व छोड़ने वाले और प्रदूषण के दोषी पाये जाने वाले उद्योगों के विरुद्ध मंडल द्वारा समय-समय पर उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ख) वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा वाहनों के धुऐं से जनित प्रदूषण की रोकथाम के लिये फिटनेस जारी करते समय उनकी जांच के लिये निर्देश दिये हुए हैं। इस हेतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को स्मोक मीटर से तथा गैस एनेलाइजर उपलब्ध कराये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सात स्मोक मीटर तथा इतने ही गैस एनेलाइजर खरीदे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिये प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, 1963 व नियम 1964 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(घ) जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास साइलेन्ट जोन घोषित किया हुआ है तथा लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने के समय सीमा तथा ऊँची आवाज में न बजाने पर रोक लगा रखी है।

(पर्यावरण मंत्री)

(ड़) पर्यावरण विभाग व राज. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण की दृष्टि से साईट क्लियरेन्स जारी करते समय यह शर्त लगाई जाती है कि उद्योग प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक संयंत्र लगायेगा और उद्योग परिसर के अन्दर-बाहर कम से कम 1/3 भाग में सघन वृक्षारोपण कार्य करायेगा। इसी प्रकार की शर्त राज. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्मति जारी करते समय लगाई जाती है।

(च) पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के लिये वर्ष भर जन-चेतना जागृत करने के लिये व जनभागीदारी हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के दूरदराज के सभी क्षेत्रों में आयोजित किये जाते हैं। जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ छात्र-छात्राओं के लिये चार दिवसीय पारिस्थितिक विकास शिविर कठपुतली नाटक, फिल्म प्रदर्शन एवं प्रदर्शनी आदि लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पोस्टर, पम्पलेट, पुस्तकें व अन्य साहित्य निःशुल्क वितरित किया जाता है।

(छ) पर्यावरण विभाग द्वारा राज. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, उद्योग, खान, रीको एवं ऊर्जा विभाग आदि को समय-समय पर विभिन्न अधिनियम व नियमों की सख्ती से पालना करने हेतु बराबर अनुसरण किया जाता है।

(3) जी नहीं।

सहकारी भूमि विकास बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सरकार में बकाया

33. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राशि सरकार पर किस-किस मद में कितनी-कितनी बकाया है? ब्याज सहित जुलाई, 1994 तक बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त बकाया में से कितनी राशि किन-किन बैंकों को कब-कब चुकायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की दिनांक 31.7.94 को बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

	भारत सरकार का हिस्सा	राजस्थान सरकार का हिस्सा	कुल योग
1. सहकारी भूमि विकास बैंक	1.63	1.63	3.26
2. केंद्रीय सह. बैंक	22.87	19.30	42.17
योग	24.50	20.93	45.43

(18)

(2) उपरोक्त बकाया राशि में से निम्नानुसार प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियाँ हो चुकी हैं :

(राशि करोड़ रुपयों में)

	भारत सरकार का हिस्सा	राजस्थान सरकार का हिस्सा	कुल योग
1. प्राथ. सहकारी भूमि विकास बैंक	1.63 (नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.8.94)	1.63 (नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.8.94)	3.26
2. केन्द्रीय सह. बैंक	5.37 (नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.8.94)	5.37 (नाबार्ड से वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.8.94)	10.74
3. केन्द्रीय सह. बैंक		7.13 (राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.7.94)	7.13
योग	7.00	14.13	21.13

उपरोक्त राशि प्राप्त (रिलीज) होने पर बैंकों की मांग के अनुपात में बैंकों को उपलब्ध करा दी जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-34

(स्थगित)

जोधपुर शहर के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

35. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में स्थित डिस्पेंसरीज में बढ़ती आबादी के अनुसार पिछले बीस वर्षों में अतिरिक्त चिकित्सा उपकरण एवं विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

(2) उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार अब क्या व्यवस्था करने जा रही है एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त डिस्पेन्सरीज में से किन-किन डिस्पेंसरीज को कब तक क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। वर्ष 1974 में जोधपुर शहर में जहां केवल 5 डिस्पेंसरी एवं 3 एडपोस्ट थीं, वहीं 1994 में 50 रोगी शैय्यायुक्त एक सेटेलाइट अस्पताल, 30 रोगी शैय्यायुक्त दो चिकित्सालय, 8 डिस्पेंसरी, 3 एडपोस्ट तथा एक डिस्पेंसरी में सवोत्तर सेवाएं एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी संचालित है। पावटा में एक्सरे सुविधा उपलब्ध है। नार्म्स के अनुसार उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार क्रमोनयन एवं सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विश्राम गृह का निर्माण

36 .**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में विश्राम गृह हेतु भूमि का चयन कर आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा कहां व कितना ?

(2) क्या सरकार शीघ्र ही इस क्षेत्र में विश्राम गृह का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में विश्राम गृह हेतु भूमि का चयन कर इस विभाग को कोई आवंटन नहीं किया गया है। बस्सी में गेंग हट का एक कमरा उपलब्ध है और उसके साथ एक बीघा 7 बिस्वा जमीन उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विश्राम गृह निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार फिलहाल उपखण्ड मुख्यालय तक ही विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है और बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कोई उप-खण्ड मुख्यालय नहीं है।

पोद्दार स्पिनिंग मिल के श्रमिकों की बकाया का भुगतान

37. **श्री अमरा राम** (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार पोद्दार स्पिनिंग मिल जो वर्ष 1985 से बन्द पड़ी है, को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार बन्द मिल के प्रभावित 1250 श्रमिकों/कर्मचारियों के बकाया वेतन, ग्रेच्युटी व अन्य देय राशियों का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। मै. पोद्दार स्पिनिंग मिल दिनांक 2.8.85 से बन्द पड़ी है। मिल को पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(2) इस संबंध में प्रकरण सं. पी.डब्लू.-237/85, 239/85, 257/85 व 258/85 केसेज निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए थे जिनमें दि. 25.11.85 को श्रमिकों के पक्ष में निर्णय किए जा चुके हैं जिसके लिए वसूली आदेश क्रमशः क्रमांक 3466-67 दिनांक 18.3.86, 1455 दि. 5.2.86, 1457 दि. 5.2.86, व 1456 दिनांक 5.2.86 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 7, जयपुर नगर, जयपुर को भिजवाए जा चुके हैं किन्तु अभी तक वसूली की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

20

ग्राम कल्याणपुरा (लालसोट) का भू-आवंटन प्रकरण

38. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील लालसोट के ग्राम कल्याणपुरा (कांकरिया) के खसरा नं. 179 में से किस-किस को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी है ? आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खसरा नं. 179 के आवंटियों की तरमीम मौके पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो आवंटियों की तरमीम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खसरा नं. 179 की तरमीम के नक्शे पर किस-किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ?

(4) क्या सरकार को उक्त तरमीम के मामलों में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित ग्राम कल्याणपुरा की भूमि ख.नं. 179 रकबा 99 बीघा 14 बिस्वा में से 30 व्यक्तियों को समय-समय पर 77 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी है। सूची परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त खं. नं. 179 के 30 आवंटियों में से 15 आवंटियों की नक्शा शीट में तरमीम कर दी गयी हैं। तरमीम की फोटो प्रति संलग्न हैं। शेष 15 आवंटियों की तरमीम वक्त आवंटन तत्समय कार्यरत पटवारी गिरदावर द्वारा नहीं की गयी एवं प्रकरण ध्यान में आने के उपरान्त भी ख.नं. 179/238, 179/239 विवादास्पद होने एवं न्यायालय में जेरकार होने से नहीं की जा सकी।

(3) खसरा नम्बर 179 में तरमीम नम्बर 179/240 से 179/251 तक कुल 12 आवंटियों की तरमीम पर श्री प्रभुदयाल विजय भू-अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। शेष पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(4) जी हां, खं.नं. 179 की तरमीम के मामले में दिनांक 26-7-94 को आवंटीगण श्री घमण्डी रामजीलाल पि. बजरंगलाल मीणा निवासी बाढ कल्याणपुरा द्वारा तहसील लालसोट के यहां शिकायत पेश की गयी है जिस पर जांच की जा रही है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सूची

आवंटन सूची ख.नं. 179 ग्राम बाढ़ कल्याणपुरा तह. लालसोट जि. दौसा

क्र.सं. 1	नाम आवंटी मय पिता 2	निवास स्थान	आवंटित ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	दिनांक आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रसादा पुत्र मन्ना मीना	कल्याणपुरा	179	3.00	बंजड दोयम	17-6-67

21

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री हरिप्रसाद पुत्र म्होर पाल मीना	खुर्रा	179	10.00	बंजड	17.6.67
3.	श्री कंवरपाल पुत्र मोजीराम मीना	कल्याणपुरा	179	6.00	दोयम	"
4.	श्री गोविन्दा पुत्र सुखदेव मीना	"	179	1.06	"	20.3.69
5.	श्री रामधन पुत्र रामलाल मीना	"	179	2.00	"	22-9-87
6.	श्री रामस्वरूप पुत्र रामलाल मीना	"	179	2.00	"	"
7.	श्री बदराम पुत्र मोजीराम मीना	"	179	2.00	"	"
8.	श्री नन्द लाल पुत्र हजारी मीना	"	179	2.00	"	"
9.	श्री रामनिवास पुत्र मोहनलाल मीना	"	179	2.00	"	"
10.	श्री लक्खीराम पुत्र हरिप्रसाद मीना	खुर्रा	179	5.00	"	"
11.	श्री कैलाश पुत्र पन्ना मीना	कल्याणपुरा	179	2.10	"	"
12.	श्री बाबू पुत्र पन्ना मीना	"	179	5.00	"	"
13.	श्री गोमी पुत्र हरबक्स रैगर	बाढ कल्याण पुरा	179	1.00	"	"
14.	श्री हरचन्दा पुत्र हरबक्स रैगर	बाढ़ कल्याण पुरा	179	1.00	"	"
15.	श्री हजारी पुत्र हरबक्स रैगर	"	179	1.00	"	"
16.	श्री सुखजी पुत्र हरबक्स रैगर	"	179	1.00	"	"
17.	श्री रामू पुत्र हरबक्स रैगर	"	179	1.00	"	"
18.	श्री रामसुखा पुत्र गोरधन रैगर	"	179	1.00	"	"
19.	श्री हंसराज पुत्र रामप्रसाद मीना	कल्याणपुरा	179	3.00	"	"
20.	श्री श्योकरण पुत्र कैली मीना	"	179	0.05	"	"
21.	श्री सुखजी पुत्र हजारी मीना	"	179	2.00	"	"
22.	श्री रामदेव पुत्र गंगाराम रैगर	बाढ कल्याण पुरा	179	1.00	"	"
23.	श्री गिर्राज पुत्र हटीला मीना	"	179	4.00	"	"
24.	श्री देवकरण पुत्र कन्हैया मीना	कल्याणपुरा	179	"	"	"
25.	श्री रामजीलाल पुत्र बजरंग लाल मीना	"	179	2.50	"	"
26.	श्री घमण्डी पुत्र बजरंग लाल मीना	"	179	2.00	बंजड दोयम	"
27.	श्री सांवल्या पुत्र गोविन्दा मीना	"	179	1.00	"	"
28.	श्री कमलेश पुत्र कल्याण मीना	"	179	3.00	"	"
29.	श्री सीताराम पुत्र रतनलाल मीना	"	179	5.00	"	"
30.	श्री मोहनलाल पुत्र बद्री मीना	"	179	2.00	"	"
योग				77.01		

जिला कलक्टर, दौसा

आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना

39. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993-94 में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के कितने पद सृजित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कब तक रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार आयुर्वेदिक अस्पतालों की दयनीय स्थिति को सुधारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) मानदण्ड स्वरूप किसी स्थान पर आयुर्वेद विभाग द्वारा औषधालय खोले जाने के लिए निम्न बिन्दू सामान्यतः दृष्टिगत रखे जाते हैं :

1. भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
3. नवीन खुलने वाले औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2000 होना।
4. बजट प्रावधान का उपलब्ध होना।

(2) वर्ष 1993-94 में आयुर्वेद चिकित्सक का कोई नवीन पद सृजित नहीं हुआ है।

(3) राज्य सरकार आयुर्वेद [illegible] रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्य [illegible] है।

(4) विभाग के आयुर्वेद अ[illegible] स्थिति सामान्यतः सन्तोषप्रद है। [illegible] की स्थिति में और अधिक सुध[illegible] करने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील[illegible]

सामाजिक वानिकी यो[illegible] के अधूरे कार्य

40. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** [illegible] क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा [illegible]

(1) क्या यह सही है कि र[illegible] बैंक द्वारा घोषित सामाजिक वा[illegible] समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, [illegible]

(2) इस योजना के अधूरे क[illegible] किस प्रकार व कब तक पूरा कर[illegible] की योजना है ?

(3) इस योजना के सम्बन्ध [illegible] बन्द करने की वर्ल्ड बैंक की रिप[illegible] अन्तिम फैसले की प्रति सदन की मे[illegible]

उत्तर

(1) जी हां। वर्ल्ड बैंक की [illegible] शुरू की गयी सामाजिक वानिकी[illegible] (प्रोजेक्ट) को पूर्ण कर लिया गया है[illegible]

(2) परियोजना के अन्तर्गत स्व[illegible] की उपलब्धि कर ली गयी है। कार्य[illegible] रहे हैं।

(वन मंत्री)

(3) वर्ल्ड बैंक से परियोजना के लिए दिनांक 31.3.93 तक सहायता प्राप्त होने की सहमति थी। इस आशय के पत्र दिनांक 11.3.92 की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट-1 में रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति भुवाणा (उदयपुर) में व्याप्त अनियमिततायें

41. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भुवाणा ग्राम पंचायत (उदयपुर) में श्री लक्ष्मी लाल पुष्करणा ने वार्ड पंच श्री भेरा गमेती का फर्जी अंगूठा लगा उदयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त की थी? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) श्री लक्ष्मी लाल पुष्करणा ने अपने क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्षीय कार्यकाल में कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय की? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति भुवाणा (उदयपुर) के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के निवास पर एस.टी.डी. युक्त टेलिफोन लगे हुए हैं? यदि हां, तो उनके कार्यकाल में प्रतिमाह कितनी राशि के बिलों का अब तक भुगतान किया जा चुका है?

(4) क्या अध्यक्ष द्वारा गार्डन होटल एवं सलूम्बर में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गोदाम खाली कराये गये थे? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(5) क्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भुवाणा (उदयपुर) का बोर्ड राज्य सरकार भंग करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री लक्ष्मीलाल पुष्करणा द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. उदयपुर के अध्यक्षीय कार्यकाल में व्यय की गयी राशि परिशिष्ट "अ" पर है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) अध्यक्ष के निवास पर फरवरी 1992 से एस.टी.डी. सुविधा है। लेकिन व्यवस्थापक के निवास पर लगे फोन में सितम्बर, 1992 से एस.टी.डी. सुविधा नहीं है। अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के निवास के टेलिफोन पर किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(4) जी हां। यद्यपि भवन किराए पर लेने अथवा खाली करने का अधिकार उप नियमानुसार संस्था के संचालक मंडल में निहित है परंतु गार्डनहोटल का गोदाम मई, 92 से अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के आदेश से खाली किया गया है। सलूम्बर का गोदाम शाखा व्यवस्थापक द्वारा खाली किया गया था।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

श्री लक्ष्मीलाल पुष्करणा अध्यक्ष क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. उदयपुर द्वारा अपने कार्यकाल में किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र.सं. वर्ष	मदवार व्यय पैट्रोल	यात्रा व्यय	जीप एवं टैक्सी किराया	योग
1. 6.1.92 से 31.3.92	832.00	–	–	832.00
2. वर्ष 92-93	5700.00	5864.50	8419.00	19983.50
3. वर्ष 93-94	7200.00	–	22886.00	30086.00
4. 94-95 (31.8.94) तक	3000.00	–	–	3000.00
योग	16732.00	5864.50	31305.00	53901.50

अध्यक्ष के निवास पर फरवरी 1992 से व्यवस्थापक के निवास पर सितम्बर 1992 से टेलीफोन लग रहे हैं, जिसका वर्षवार खर्च का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	वर्ष	अध्यक्ष के निवास पर लगे टेलीफोन के भुगतान की राशि	व्यवस्थापक के निवास पर लगे टेलीफोन के भुगतान की राशि
क्र.सं.	वर्ष		
1.	1991-92	2301.00	टेलीफोन नहीं
2.	1992-93	9198.00	918.00
3.	1993-94 (14920.00)	14920.00	2344.00
4.	1994-95	1990.00	1074.00
	योग	28409.00	4336.00

बूंदी में उद्योगों की स्थापना हेतु भू-अधिग्रहण

42. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में उद्योग लगाने के लिये खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है? यदि हां, तो सरकार ने बूंदी में उद्योग लगाने हेतु क्या प्रयास किये और वे कहां तक सफल हुये?

(2) क्या यह सही है कि कोई भी उद्यमी यदि उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको रीको द्वारा जगह आवंटित की जाती है? यदि हां, तो क्या बूंदी नगर के आस पास कोई ऐसा निश्चित स्थान सरकार द्वारा आवंटित किया गया है! यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि उद्योग लगाने हेतु भूमि अधिग्रहण करने के सरकार ने जिला प्रशासन को कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में उद्योग लगाने के लिए खाद्य पदार्थों पर आधारित कच्चा माल जैसे-चावल तिलहन इत्यादि की पैदावार अच्छी है अतः ऐसे उद्योगों को बढ़वा देने के लिये राज्य सरकार एवं रीको ने मिलकर प्रयास किये हैं एवं वर्तमान में निम्न औद्योगिक क्षेत्र बूंदी जिले में हैं :

1. बूंदी चित्तौड़ रोड औद्योगिक क्षेत्र
2. बूंदी नैनवा रोड औद्योगिक क्षेत्र
3. बूंदी बाई पास रोड औद्योगिक क्षेत्र
4. सुमेरगंजमण्डी औद्योगिक क्षेत्र
5. गोविन्दपुर बावड़ी औद्योगिक क्षेत्र

उपरोक्त वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र बूंदी चित्तौड़ रोड के अन्तर्गत अधिकतर उद्योग खाद्य पदार्थ पर आधारित कच्चे माल से ही चल रहे हैं तथा इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग सभी इकाइयाँ उत्पादनरत हैं। अन्य औद्योगिक क्षेत्र बूंदी नैनवा रोड़ एवं बूंदी बाईपास रोड पर भी सभी भूखण्ड आवंटित हैं, एवं अधिकतर भूखण्डों पर इकाईयाँ कार्यरत हैं। औद्योगिक क्षेत्र सुमेरगंजमण्डी में भी ऐसे उद्योग लगवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी हां, यह सही है कि कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटित किया जाता है। पूर्व में बूंदी नगर के आस-पास 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं वे निम्न हैं :

1. बूंदी चित्तौड़ औद्योगिक क्षेत्र
2. बूंदी नैनवा औद्योगिक क्षेत्र
3. बूंदी बाई पास रोड़ औद्योगिक क्षेत्र

(3) बूंदी जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निगम द्वारा चयनित की गई एवं भूमि अर्जन करने के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण क्षेत्रवार परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

विवरण

(1) छत्रपुरा :—धारा 6 सपठित धारा 17 (1) के पश्चात् 66.04 बीघा निजी खातेदारी भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नामान्तरणकरण भी निगम हित में हो चुका है। काश्तकारों के रिट में जाने के कारण इसका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पारित नहीं किया। अवार्ड के अभाव एवं नगर नियोजन विभाग के आक्षेप के कारण इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया जा सका।

(2) हट्टीपुरा :—जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.9.93 द्वारा ग्राम हट्टीपुरा को 185 बीघा 11 बिस्वा राजकीय भूमि निगम हित में आवंटित की गई थी परन्तु राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत निगम को भूमि आवंटन करने में केवल राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः निगम हित में आवंटन किये जाने की अथवा जिला

कलक्टर के आदेश की पुष्टि किये जाने हेतु उद्योग विभाग को अनुरोध किया गया है। यह प्रकरण उद्योग विभाग में अभी तक विचाराधीन है। ग्राम हट्टीपुरा बूंदी चित्तौड़ मार्ग पर बूंदी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में उद्योग के लिये पानी का पूर्ण अभाव है। निगम द्वारा यह क्षेत्र अविकसित ही उद्यमियों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) **रामगंज बालाजी :** राजस्व ग्राम रामगंज बालाजी के विकास के लिये इस निगम द्वारा 715 बीघा भूमि का चयन किया गया था जिसमें 75 बीघा 08 बिस्वा राजकीय भूमि उद्योग विभाग से निगम हित में आवंटित की जा चुकी है तथा 525 बीघा 16 बिस्वा निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु उद्योग विभाग द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 29.1.93 को प्रसारित की गई थी परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बूंदी द्वारा कथित अधिनियम की धारा के अन्तर्गत प्रतिवेदन अब तक उद्योग विभाग को न भिजवाये जाने के कारण भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही स्वतः ही प्रभावशुन्य हो चुकी है। अतः निगम द्वारा कथित अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना पुनः प्रसारित किये जाने हेतु उद्योग विभाग को दिनांक 19.9.94 को अनुरोध किया गया है।

(4) **दोलाड़ा :—** निगम द्वारा दोलाड़ा नहर के समीप कोटा बूंदी मुख्य मार्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 320 बीघा राजकीय भूमि को भी चिन्हित किया गया है। हालांकि मुख्य मार्ग से इस स्थल तक पहुँचने के लिये वर्तमान में 2 किलोमीटर पक्की व 2 किलोमीटर कच्ची सिंचाई विभाग की सड़क उपलब्ध है। यह भूमि उबड़ खाबड एवं पथरीली है। इस क्षेत्र में पहुँचने के लिये सिचांई विभाग की पुलिया से गुजरना होगा व नयी पुलिया भी बनानी पड़ेगी। ब्रोडगेज रेल्वे लाईन का एक पुल भी पार करना होगा तथापित यहां पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल उपलब्ध है। इस क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने हेतु संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

इस प्रकार यह निगम बूंदी जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयत्नशील है परन्तु चूंकि भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ समय लगता है, इसलिए तत्काल किसी भी भूमि में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना फिलहाल संभव नहीं होगा। निगम को भूमि उपलब्ध होते ही त्वरित गति से इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में भी विकसित किये जा सकेंगे, एवं उद्यमियों के लिये भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया भी अत्यन्त सरल बना दी गई है जिसके कारण कोई भी इच्छुक व्यक्ति निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र के अभाव में उद्योग लगाने से वंचित नहीं रह जायें।

रैफरल चिकित्सालय, रामगढ़ (अलवर)

43. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के मानदण्डों के अनुसार एक रैफरल अस्पताल में क्या-क्या सुविधायें एवं कितना-कितना स्टाफ होना चाहिए ?

(2) जिला अलवर के रामगढ़ कस्बे में रैफरल अस्पताल कब क्रमोन्नत हुआ ?

(3) क्या मानदण्ड के अनुसार उपरोक्त रैफरल अस्पताल कब क्रमोन्नत हुआ ?

(3) क्या मानदण्ड के अनुसार उपरोक्त रैफरल अस्पताल में स्टाफ एवं सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो और क्या-क्या सुविधायें अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ?

(4) बाकी सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा संस्थान को रैफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर निम्न अतिरिक्त स्टाफ के पद सृजित किए जाते हैं :

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2
2. चिकित्सा अधिकारी	2
3. मेल नर्स श्रेणी प्रथम	1
4. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	2
5. स्टाफ नर्स	2
6. सहायक रेडियोग्राफर (एक्सरे मशीन उपलब्ध होने पर)	1
7. लेब. टैक्नीशियन	1
8. वरिष्ठ लिपिक	1
9. कनिष्ठ लिपिक	1
10. वार्ड ब्याय/हरिजन	1

इसके साथ रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ सेवाऐं, 30 शैय्याओं की व्यवस्था एक्सरे, रोगी वाहन, लेबोरेटरी जाँच, ई.सी.जी. जाँच आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत वर्ष 1991-92 में किया गया।

(3) मापदण्ड के अनुसार लगभग सभी स्टाफ कार्यरत है। एम्बुलेंस की सुविधायें भी प्रदत्त करायी जा रही हैं। वर्तमान में भवन व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुरूप इस संस्थान में फिलहाल 16 शैय्याएँ ही उपलब्ध हैं। उपयुक्त भवन व्यवस्था के अभाव में एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं है।

(4) पर्याप्त भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर तथा योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर शेष कमियों की पूर्ति करना सम्भव हो सकेगा।

विधानसभा क्षेत्र चौहटन के ग्रामों का डामरीकरण

44. श्री भगवान दास (चौहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भगवान दास)

क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौहटन में देउसर से मीठडाऊ तक कच्ची सड़क पर डामरीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा कब तक इसका डामरीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

देउसर से भीठडाऊ सडक के डामरीकरण का कोई प्रस्ताव फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। देउसर ग्राम बिजराड धनाऊ डामर सडक से जुड़ा हुआ है तथा देउसर से भीठडाऊ के बीच ग्रेवल सडक बनी है जिसकी लम्बाई 17 कि.मी. इस पर ग्राम नवातला जैतमाल भी स्थित है। ग्राम नवातला तथा भीठडाऊ (पंचायत मुख्यालय) की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 637 व 407 है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1000 या अधिक आबादी वाले ग्रामों को योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार डामर सडक से जोडना प्रस्तावित है। चूंकि मिठडाऊ (407) ग्राम की आबादी 1000 से कम है अतः यह योजनार्न्गत प्राथमिकताओं में नहीं होने के कारण फिलहाल वर्तमान में इसे डामर सडक से जोड़ना विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 45

(स्थगित)

नलकूप व कुओं हेतु विद्युत् कनेक्शन्स

46. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विद्युत मंडल की पेयजल विभाग के पीने के पानी के लिए नल-कूप एवं कुओं के लिए विद्युत कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो जोधपुर जिले में जलदाय विभाग द्वारा किन-किन नलकूपों एवं कुओं के विद्युत कनेक्शन के लिए कब-कब आवेदन किया गया ? इनमें से कहां-कहां पर कनेक्शन जारी कर दिये गये एवं कहां-कहां पर कनेक्शन जारी नहीं किये गये ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। शेष कनेक्शन अब कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 1994-95 में अगस्त 1994 तक 135 कनेक्शन जलदाय विभाग से नलकूपों एवं कुओं के विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 57 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष पर कनेक्शन दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। विचाराधीन आवेदन पत्रों की सूची प्रपत्र "अ" में मय विवरण के संलग्न है।

(29)

जोधपुर जिले के अन्तर्गत पेयजल के विचाराधीन कनेक्शनों का विवरण 31.8.94 तक

क्र.सं.	पंचायत समिति/गांव का नाम	आवेदन की तिथि	डिमाण्ड नोट जमा कराने का दिनांक
1	2	3	4
	जोधपुर नगर		
1.	हाउसिंग बोर्ड	28.7.93	31.1.94
2.	देवनगर	18.6.94	30.6.94
3.	जालोरी गेट	29.6.94	6.7.94
4.	मूलियाबास	"	"
5.	रावतों का बास	29.8.94	"
6.	बनियावाड़ा	"	"
7.	ओसवालन्यति नोहरा	23.5.94	11.7.94
8.	पाबूपूरा	29.6.94	25.8.94
9.	गुलाबपुरा	13.6.94	11.7.94
10.	मदेरणा कॉलोनी	"	"
11.	इन्दिरा कालोनी	"	"
12.	रामबाग	"	"
13.	अखेराज जी का तलाब	29.6.94	22.7.94
14.	अशोक कॉलोनी	"	"
15.	तोलियागा बास	"	"
16.	नागोरी गेट	"	"
17.	खेत्तानाड़ा	"	"
18.	लाइन्स क्लब के पास	7.7.94	3.8.94
19.	मिल्क मैन कॉलोनी	11.8.94	तकमीना बनाया जा रहा है
20.	शास्त्री नगर	28.7.94	"
21.	फिल्टर हाउस कुडी	22.8.94	"
	पं. सं. लूनी		
22.	बीजांवड	28.2.94	28.3.94
23.	झवंर	23.6.94	19.7.94
24.	लूनावास खारी	"	19.7.94
25.	गेलिया	29.6.94	"

(30)

1	2	3	4
26.	पाल	29.6.94	19.7.94
27.	डोली	"	"
	पं.स. मण्डोर		
28.	पोपावास	24.6.94	5.7.94
29.	केरु	"	"
30.	बेरु	"	"
	पं.सं. बिलाडा		
31.	रणसीगांव	15.3.94	20.3.94
32.	खारिया मिठापुर	31.3.94	2.4.94
33.	बीजवाडिया	1.7.94	1.7.94
34.	बरना	"	"
35.	जैतीवाल	"	"
36.	पोलवी	"	"
37.	हुरियाढ़ाणा	29.6.94	नलकूप तैयार नहीं है
	पं.सं. भोपालगढ		
38.	सरगीया खुर्द	19.5.94	20.7.94
39.	रतकुड़िया (सरणों की ढाणी)	20.7.94	नलकूप नहीं खुदवाया गया है
40.	खागढ़ा	"	कार्य प्रगति पर है
41.	रामड़ावास खुर्द	"	पीएचडी द्वारा रिवाइज्ड
42.	कुड़	8.7.94	डीमाण्ड नोट जमा नहीं कराया गया।
	पं.सं. ओसिंया		
43.	बेहर चारनान	21.3.94	29.3.94
44.	मेघवालों की ढाणीसमराव	26.5.94	7.7.94
45.	जखारों की ढ़ाणी समराव	"	"
46.	बासनी फाण्टा ओसिंया	20.6.94	"
47.	उनावारा मीरा नीबरी	28.6.94	"
48.	जाटों का बेरा माटरो	"	"
49.	भोमिया जी का थान माटोडा पाडासाला	"	"
50.	वेदो का बेरा नोसर	"	"
51.	बगोई की ढानी बापनी	"	"

1	2	3	4
52.	निम्बाला बेरा सामरा	28.6.94	7.7.94
53.	मैनों की ढाणी चेराई	"	"
54.	राडिया मेगारा नोसर	16.3.94	"
55.	पडासाला	20.3.94	"
56.	कवो की ढानी भीकम कोरी	26.5.94	"
57.	पूनासर (रूपाला बेरा)	28.7.94	अण्डर ग्रेस पीरियड
58.	पोकर राम जी ढाणी	20.6.94	अण्डर एस्टीमेट
	पं.स. फलोदी		
59.	खारा चोधरियान की ढाणी	7.6.94	29.6.94
60.	आमला तवरों की ढाणी	27.6.94	"
61.	एस.एस.नागर चत्तर वालो की ढाणी	"	"
62.	पीलवा (भोजकों)	20.6.94	"
63.	पीलवा (फतह सागर)	"	अण्डर एस्टीमेट
64.	दया कोर (इण्ड नदी)	"	"
	पं.स. बालेसर		
65.	रावेरिया बेरा तेना	2.5.94	28.6.94
66.	नाहर सिंह नागर तेना	"	30.6.94
67.	अचल सिंह बेरा (गड्डा)	"	"
68.	पनवारों का बास (बी हूगरा)	"	28.6.94
69.	खेतोलाई नदी (केतू कला)	30.6.94	30.6.94
70.	बिरदों का बेरा (तेना)	"	"
	पं.सं. बाप		
71.	टेकडा	28.6.94	29.6.94
72.	जोगीनाड़ा (चम्पासर)	"	"
73.	खंगासर (चाखू)	"	"
74.	अमरी का बेरा (रानेरी)	"	"
75.	खारिया	"	"
76.	केलनसर	30.6.94	1.7.94
77.	चाकू	"	"
78.	भोजकान	18.6.94	"

माननीय मुख्य मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान किये गये अनुबन्ध

47. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 1994 में कितनी विदेश यात्राएं की गई ? उन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माननीय मुख्य मंत्री के साथ इन यात्राओं में कौन-कौन गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) माननीय मुख्य मंत्री की इन यात्राओं में कौन-कौनसे अनुबन्ध या समझौते किन-किन देशों के साथ किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय मुख्य मंत्री ने जिन देशों की यात्राएं की उनसे अब तक राज्य में कितना पूंजी निवेश हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 1994 में 2 विदेशी यात्राएं की गयीं। इन यात्राओं पर सरकार द्वारा किये गये व्यय की तालिका "परिशिष्ट एक" पर है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री के साथ इन विदेश यात्राओं में जो-जो अधिकारी/व्यक्ति गये उनका विवरण "परिशिष्ट दो" पर है।

(3) इन यात्राओं में जो-जो अनुबंध या समझौते किये गये उनका विवरण "परिशिष्ट तीन" पर है।

(4) पूंजी निवेश से संबंधित सूचना "परिशिष्ट चार" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधायें

48. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : एवं **श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभनगर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सुविधायें एवं पद नार्म्स के अनुसार होने चाहिए? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड़ एवं बल्लभनगर, जिला उदयपुर में उक्त निर्धारित नार्म्स के अनुसार सभी सुविधायें एवं पद भरे हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब से? यदि सुविधायें नहीं दी गई एवं पद रिक्त हैं तो क्या सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्सरे मशीन एवं एम्बूलेन्स उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त दोनों सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड एवं बल्लभनगर में निम्न सुविधाएं उपलब्ध है :—

कानोड़	बल्लभनगर
1. विशेषज्ञ सेवाऐं	1. विशेषज्ञ सेवाऐं
2. ई.सी.जी.	2. एक्सरे सेवाऐं
3. लेबोरेट्री	3. ई.सी.जी. सेवाऐं
	4. लेबोरेट्री

(3) स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति के प्रयास जारी हैं।

रोगी वाहन दोनों संस्थाओं में उपलब्ध नहीं है। बल्लभनगर में एक्सरे सुविधाऐं उपलब्ध है। कानोड में एक मशीन मेडिकल कालेज उदयपुर से दि. 25.7.86 को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में कन्डम योग्य है।

योजना मद में अनुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर शहर की सड़कों का डामरीकरण

49. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर के भीतरी भागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सड़कों का पिछले तीन वर्षों में निर्माण व मरम्मत कार्य पेवर कब-कब कराया गया तथा उस पर कितना-कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिकांश सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनका पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) विभाग की रख-रखाव वाली सड़कों का जुलाई "94" से सितम्बर, 94 के बीच हुई भारी एवं निरन्तर वर्षा के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़कें मुख्यतः चौराहों के इर्द-गिर्द या ऐसे स्थानों पर जहाँ वर्षा का पानी की निकासी नहीं थी, उन स्थानों पर क्षति हुई है। क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्वार हेतु आवश्यक धन राशि का आंकलन कर लिया गया है विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। इन सड़कों के जीर्णोद्वार हेतु अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. तत्कालिक जीर्णोद्वार जिससे यातायात चालू रहे	8.85 लाख
2. क्षतिग्रस्त सड़कों को मौलिक स्थिति में लाने हेतु	50.45 लाख

(३५)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. भविष्य में पुनरावृति रोकने हेतु प्रस्तावित बचाव कार्यों हेतु	33.15 लाख
कुल योग :	92.45 लाख

सड़कों पर पेच रिपेयर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो निर्देशानुसार 31.10.94 से पूर्व पूर्ण कर दिया जाएगा। सड़कों को मौलिक स्थिति में लाने हेतु जीर्णोद्वार का कार्य एवं बचाव का कार्य राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कराया जाना संभव होगा।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान-हरियाणा सीमा पर हरियाणा राज्य द्वारा अतिक्रमण

50. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरियाणा से लगने वाली राजस्थान की सीमा पर सीघेड ठाठवाड़ी एवं ढोंसी आदि गांवों की हजारों बीघा जमीन पर हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा अतिक्रमण किया जाकर पेड़ लगा दिये गये हैं?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) हरियाणा सीमा से लगने वाले राजस्थान के 9 गावों की लगभग 100 है० भूमि विवादास्पद हैं। यह भूमि बसईवाली नदी के पेटे तथा उसके आसपास की है। उक्त भूमि पर पेड़ लगे हुये हैं।

(2) उक्त विवादास्पद भूमि के बारे में हरियाणा सरकार के स्थानीय अधिकारियों से पूर्व में मौके पर बैठकें की गयी हैं। आगामी बैठक 29.9.94 को निश्चित है।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

51. **श्री राम नारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली मार्च से पूर्व मण्डावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने हेतु समाज कल्याण विभाग तथा वहां के लोगों ने बिजली बोर्ड से निवेदन किया था? यदि हां, तो वे कौन-कौनसी बस्तियाँ हैं? किनमें विद्युतीकरण हो गया है और किन-किन में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम तिरलोका का बास उर्फ हनुमानपुरा, हमरिवास (नूआ), भोजासर की नई हरिजन बस्ती, लाडसर की हरिजन बस्ती, झटावाकलां, तेतरा आदि गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण विभाग की लापरवाही एवं दूसरे कारणों से नहीं हो सका?

(3) क्या सरकार इन बस्तियों तथा दूसरी अन्य बस्तियाँ जिनके प्रस्ताव विद्युत मण्डल के पास समाज कल्याण विभाग या अन्य जरिए से आ गये हैं, उन्हें विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मार्च, 1994 से पूर्व मण्डावा विधानसभा क्षेत्र की 65 हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 40 हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा शेष 25 हरिजन बस्तियों को विद्युतिकरण करना शेष है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) इन गांवों की पत्रावलियां विद्युतिकरण हेतु जमा हुई थी। ग्राम झटावकलां एवं तेतरा की हरिजन बस्तियों को विद्युतिकृत किया जा चुका है तथा अन्य बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु मण्डल के लक्ष्यानुसार विद्युतिकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा रही है।

(3) विचाराधीन हरिजन बस्तियों को विद्युतिकृत करने हेतु आवंटित लक्ष्य एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकृत व अविद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

विद्युतीकृत		अविद्युतीकृत	
क्र.सं.	हरिजन बस्ती का नाम	क्र.सं.	हरिजन बस्ती का नाम
1.	तेतरा	1.	भोजासर
2.	नुआ	2.	लाडसर
3.	चूडी चतरपुरा	3.	हमीरवासनुआं
4	हेतमसर	4.	मलसीसर
5.	खलासी	5.	भिखमसर
6.	दुराना	6.	नाद
7.	पिलानी खुर्द	7.	रिजानी
8.	धाणी कुलरिया	8.	पिथुसर (ढाणी बागापडतान)
9.	कांट	9.	मुखा का बास (राणासर)
10.	कांट	10.	झठवा खुर्द
11.	हमीरि कला	11.	ककडेरु खुर्द
12.	निराधनू	12.	लूदू
13.	निराधनू	13.	लूदू
14.	हंसासर	14.	लूदू
15.	हंसासरी	15.	लादूसर (शोभा गा बांस)
16.	हंसासरी	16.	नाद का बास
17.	रिजानी	17.	बाडेत (उत्तरी मौहल्ला)

क्र.सं.	हरिजन बस्ती का नाम
18.	चुडला
19.	हमीरि खुर्द
20.	कांट
21.	हमीरि खुर्द
22.	लूटू
23.	खारिया
24.	मेहरादास
25.	दिलोई
26.	बांसडी
27.	कोलिण्डा (दक्षिण)
28.	कोलिण्डा (दक्षिण)
29.	सोनासर
30.	सोनासर
31.	अनूतपूरा
32.	शेषु
33.	सिरियासर खुर्द
34.	जैतपुरा
35.	बाजला
36.	झटावा खुर्द
37.	झटावा कला
38.	कालियासर
39.	जालिमपुरा
40.	बांस हरिपुरा

क्र.सं.	हरिजन बस्ती का नाम
18.	बाडेत (नाईकान मौहल्ला)
19.	ख्याली
20.	ख्याली
21.	टाई
22.	बिरमी
23.	हरीपुरा
24.	हनुमानपुरा उर्फ त्रिलोका का बास
25.	डाबरी धीर सिंह

विधानसभा क्षेत्र जालोर में स्थित देशी मदिरा की दुकानें

52. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर शहर में सूरजपोल के बाहर स्थित मीणों के बास में बामणीमाता के मन्दिर के सामने देशी शराब की दुकान स्थित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर विधान सभा क्षेत्र के माण्डकलां ग्राम में बीच बाजार में मन्दिर के सामने शराब की दुकान चल रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों को हटवाने की मांग स्थानीय लोग करते रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इन दुकानों को हटवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(37)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, नहीं। माण्डकलां ग्राम में देशी मदिरा की मुख्य दुकान "टेण्डरशॉप" है जो ग्राम से बाहर व मंदिर से उपयुक्त दूरी पर नियमानुसार स्वीकृत स्थान (लोकेशन) पर चल रही है।

(3) केवल सूरजपोल की दुकान के संबंध में ऐसी मांग प्राप्त हुई थी, लेकिन यह दुकान नियमानुसार स्वीकृत स्थान (लोकेशन) पर चल रही है। अतः इसे हटवाने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम माण्डकलां की दुकान को हटवाने की ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई हैं।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायतों का डामरीकरण

53. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) एवं श्री विजय सिंह (दीगोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वित्तीय वर्ष 1994-95 में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें, एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव एवं धार्मिक स्थलों को डामर की सड़क से जोड़ने का सरकार का विचार है? उनके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1994-95 में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय देवरीजोध को डामर की सडक से जोड़ने का प्रावधान है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में रुपये 2.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन

54. **श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिलाधीश कार्यालय में माह जनवरी, 1994 से माह अप्रेल, 1994 तक किस-किस तहसील के कौन-कौन से आवेदन राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए) किस-किस तारीख को प्राप्त हुए व किस-किस तारीख को जिलाधीश को प्रथम बार पेश किये गये?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये आवेदनों में से किस-किस आवेदन के साथ नियम 8(1) में बताये दस्तावेज पेश किये गये? क्या इनका निस्तारण नियम 8(2) में बताई समय सीमा में किया गया? यदि नहीं, तो क्या नियम 8(4) में बताई समय सीमा में उच्च अधिकारी को भेजा गया? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले के राजस्व अधिकारी ने जानबूझ कर पत्रावलियों को लम्बित रखा है?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने प्रकरणों को अकारण लंबित रखने के दोषी

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब कब तक सरकार आवेदनों का फैसला करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिलाधीश कार्यालय में माह जनवरी, 1994 से माह अप्रेल, 94 तक तहसील मारवाड़ जक्शन एवं सोजत में दो आवेदन पत्र क्रमशः 1- परमहंस महेशवरानन्द आश्रम जाड़न एवं 2- श्री गुमनाराम जटिया निवासी रुन्दिया तहसील सोजत का दिनांक 17.4.94 व 7.1.94 को प्राप्त हुये। जिन्हें जिलाधीश पाली के समक्ष क्रमशः दिनांक 17.4.94 तथा 13.6.94 को प्रथमवार प्रस्तुत किया गया।

(2) श्री परमहंस महेश्वरानन्द आश्रम, जाड़न का प्रार्थना पत्र तहसील मारवाड़ जक्शन से आवश्यक रिपोर्ट के साथ 17.4.94 को जिला कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर दिनांक 30.5.94 के आदेश जारी कर दिये गये। श्रीगुमनाराम जटिया के मामले में प्रार्थना पत्र तहसील सोजत में मय दस्तावेज के दिनांक 5.10.93 को प्रस्तुत हुआ जो कलक्टर को 7.1.94 को मिला। इसमें रूपान्तरण आदेश 17.9.94 को जारी हुये। प्रकरण में विलम्ब के लिये कलक्टर को जांच करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा दि. 6.8.94 को पत्र द्वारा जिला कलक्टर को नियमों के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा में करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। विलम्ब के लिये दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को भी निर्देश दिए गए है। श्री गुमनाराम जटिया साकिन रुन्दिया के प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 17.9.94 को किए गए। जी नहीं। जी हां, जिला कलक्टर पाली ने तहसील एवं उपखण्ड सोजत से विलम्ब के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। श्री गुमनाराम के प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश दिनांक 17.9.94 को किया जा चुका है।

राजस्व ग्रामों के मजरे-ढाणियों को विद्युत कनेक्शन

55. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेंगू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों के मजरे-ढाणियों को बिजली देने की सरकार के पास नई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जनगणना पुस्तिका 1981 में अंकित राजस्व ग्राम जो विद्युतिकृत घोषित किये जा चुके हैं, के मजरों व ढाणियों को उसी ग्राम का हिस्सा मानते हुये मांग आने पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु पूर्व में ही प्रावधान है।

श्री प्रभूसिंह राजवी, तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक का भ्रष्टाचार प्रकरण

56. **श्री इन्द्र सिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक सरदार शहर डिपो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम श्री प्रभूसिंह राजवी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पकड़ा था? यदि हां, तो कब तथा किस अपराध में व मुकदमा नम्बर क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री प्रभूसिंह राजवी को बिना टिकट सवारियाँ ले जाने के रिमार्क लगाकर दो परिचालकों को नौकरी से निकलाने की धमकी देकर उनसे माहवारी किश्त स्वरूप क्रमश : 500-500 रुपये रिश्वत के तौर पर लेते हुए दि. 4.10.93 को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस संबंध में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में अपराध सं. 139/93 अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (डी) 2 पी.सी. एक्ट 1988 तथा 203 भा.द.सं. पंजीबद्ध किया गया।

(2) जी नहीं। अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रेषित किया गया है। अभी तक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

डीग उपखंड को जिला बनाने का प्रकरण

57. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नये जिले बनाने का मानदण्ड क्या है?

(2) धौलपुर व हनुमानगढ़ जिनके अन्तर्गत तीन-तीन तहसीलें हैं, के आधार पर क्या सरकार डीग उपखण्ड जहाँ चार तहसीलें हैं, को भी जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) नये जिले स्थापित करने का कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। जिलों की भोगोलिक स्थिति, प्रशासनिक आवश्यकताओं, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति एवं जनसुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नये जिला घोषित करने पर विचार किया जाता है।

(2) जी नहीं। जिला धौलपुर में चार तहसीलें व जिला हनुमानगढ़ में 7 तहसीलें तथा दो-दो उपखण्ड है। उपखण्ड डीग में नया जिला बनाने का कोई विचार नहीं है।

उद्योगों को प्रदूषण मण्डल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

58. **श्री नरेन्द्र बुड़ानिया** (सरदारशहर) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा जारी मार्ग-निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही राजस्थान प्रदूषण एवं नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो मार्ग निर्देशिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गाइड लाइन जारी की जाने के बाद उद्योगों को प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उद्योगों में से कितनों को मार्ग निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के विपरीत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कोई मार्गदर्शिका जारी नहीं की गयी है।

(2) लागू नहीं।

(3) लागू नहीं।

नवस्थापित उद्योगों को कर मुक्ति

59. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट 1994-95 में राज्यों को ऐसे पिछड़े जिलों में, जो आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं, स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों को पांच वर्ष तक कर मुक्त करने का प्रावधान किया है।

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न राज्यों से जिले वार आंकड़े एकत्रित करके सारे राज्यों के लिए एक समान सिद्धान्त बनायेगी जिसके आधार पर जिलों का औद्योगिक पिछड़ापन निर्धारित किया जायेगा और ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर पिछड़े ज़िलों का चयन किया जायेगा ?

(3) क्या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से भी इस सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़े भेजने के लिए अनुरोध किया है ? यदि हां, तो कब और क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो भारत सरकार को भेजी गयी जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। भारत सरकार को भेजी गयी जानकारी का विवरण परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति नीम का थाना के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन

60. श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नीम का थाना में एक पोल कनेक्शन के कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति नीम का थाना में सहायक अभियंता कार्यालय पाटन में घरेलू कनेक्शन के कितने मामले किस-किस गांव के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नीम का थाना क्षेत्र में एक पोल श्रेणी के अन्तर्गत 19 मामले विचाराधीन हैं जिनकी सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) पंचायत समिति नीम का थाना में सहायक अभियन्ता कार्यालय पाटन के अधीन क्षेत्रों में 1229 घरेलू कनेक्शन विचाराधीन हैं जिनकी सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रमों को घाटे से उबारने हेतु कार्य योजना

34. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) एवं श्री हरि सिंह (कुम्हेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के कौन-कौन से राजकीय उपक्रमों से अब तक कितना-कितना घाटा हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपक्रमों में अब तक सरकार की कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है तथा पूंजी के मुकाबले घाटा कितना हुआ ?

(3) उक्त उपक्रमों में घाटे से उबरने के क्या-क्या प्रयास किये गये तथा उनका क्या-क्या नतीजा रहा ?

(4) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त उपक्रमों को घाटे से उबारने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या इसके लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या घाटे वाले उपक्रमों को बेचने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उपक्रम किस प्रकार से कब तक बेचे जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों से वर्ष 92-93 तक की संचित हानि का विवरण तथा गत 6 वर्षों की वर्षवार हानि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय उपक्रमों में अब तक लगी पूंजी का विवरण तथा पूंजी के मुकाबले घाटे का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(3) उपक्रमों को घाटे से उबारने तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए माननीय मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रतिवेदन जून, 92 तथा नवम्बर, 92 में प्रस्तुत किये गये थे इसके अतिरिक्त एन.सी.ए.ई.आर. को भी अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था जो उनके द्वारा जुलाई, 93 में प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4 व 5) घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों को उनके घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उनकी उपादेयता, पुर्नजीवन की संभावना एवं श्रमिक हित जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है। उनके द्वारा सब पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान वित्त निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से की जाने वाली कटौतियां

35. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन में से कितने प्रतिशत अधिकतम कटौती की जा सकती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति की बैंक गारन्टी/अण्डरटेकिंग देते समय निगम द्वारा भी कुछ औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने की आवश्यकता होती है? यदि हां, तो क्या-क्या? नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक आर.एफ. सी/पी. ए. 12(115)773 दिनांक 15-6-1994 किन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया? नियमों एवं उक्त आदेश की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निगम द्वारा जारी उक्त आदेश को अवैधानिक मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे निरस्त कर इसे जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? यदि वैधानिक मानती है तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज. वित्त निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से अधिकतम कटौती हेतु कोई नियम नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री एस.एल. नलवाया, सहायक प्रबंधक ने एक अण्डरटेकिंग दिनांक 28.3.86 निगम को इस आशय के साथ प्रस्तुत की थी

(वित्त मंत्री)

कि यदि उनका पुत्र पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ रहा तो इसकी वसूली उनके मासिक वेतन से निगम द्वारा की जा सकती है। अतः पत्र क्रमांक आरएचसी/पीए. 12 (115)773 दिनांक 15.6.94 निगम द्वारा जारी किया गया।

श्री नलवाया द्वारा दी गयी अण्डरटेकिंग दिनांक 28.3.86 एवं निगम द्वारा जारी संदर्भित पत्र दिनांक 15.6.94 की प्रति संलग्न है।

श्री नलवाया द्वारा निगम को लिखा गया पत्र दिनांक 15.7.94 की प्रति इसमें उन्होंने उनके वेतन से 500/-रु. प्रतिमाह की कटौती किए जाने हेतु लिखा था तथा जिसे निगम द्वारा पत्र दिनांक 27.7.94 द्वारा स्वीकार किया गया की प्रतियाँ भी संलग्न है।

(4) जी नहीं। अधिकारी द्वारा दी गयी अण्डरटेकिंग के आधार पर वेतन से कटौती वैध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयास

36. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में विद्युत, पेयजल, नगरीय विकास, महिला विकास, गरीबी उन्मूलन व आधारभूत संरचना क्षेत्र में योजनागत नियोजन हेतु योजना तैयार करके भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

आयोजना विभाग संबंधित विभागों की परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता दिलाने हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार समन्वयक का कार्य करता है। भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता हेतु परियोजनाओं के प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं। आयोजना विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार संबंधित प्रशासनिक विभागों से वांछित परियोजना प्रस्ताव तैयार करवाये जाते हैं। संबंधित विभाग भी इन परियोजना प्रस्तावों की एक प्रति भारत सरकार में संबंधित मन्त्रालय के माध्यम से अभिशंषा सहित आर्थिक कार्य विभाग को उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से सहायता दिलाने हेतु भिजवाते हैं। आयोजना विभाग द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्षेत्र	बाह्य सहायता हेतु परियोजनाओं का नाम	आयोजना विभाग द्वारा किये गये प्रयास
विद्युत	1. सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना यूनिट-2	यह परियोजना पहले विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु भिजवाई गयी विकल्प के

		रूप में जापान की ओइसीएफ से सहायता हेतु ऊर्जा मन्त्रालय एवं आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भिजवाने पर 1994-95 के प्रस्तावों में शामिल न होने पर पुनः 1995-96 के प्रस्तावों में शामिल किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए इटली से भी सहयोग प्राप्त करने के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।
पेयजल	1. झुंझुनूं चूरु एवं गंगानगर जिलों के क्षारीय क्षेत्रों हेतु जलप्रदाय योजना 2. चम्बल नदी के समस्या ग्रस्त कन्दरा क्षेत्रों के लिए जलप्रदाय योजना 3. जोधपुर लिफ्ट नगर के रास्तों में पड़ने वाले गाँवों हेतु ग्रामीण जल प्रदाय योजना 4. नागौर जिले के फ्लोराइड प्रभावित गाँवों के लिए जलप्रदाय योजना 5. भरतपुर एवं धौलपुर जिलों के लिए चम्बल नदी से ग्रामीण जलप्रदाय योजना 6. पाँच मुख्य नगरों (अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर) की जलआपूर्ति एवं मल निष्कासन योजना 7. जयपुर नगर में बीसलपुर से जलआपूर्ति योजना 8. बाड़मेर लिफ्ट जलआपूर्ति परियोजना 9. अजमेर जिले के समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को जलप्रदाय योजना	आयोजना विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के प्रतिवेदन प्रस्ताव भारत सरकार के आर्थिक कार्य मामलात विभाग को विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु भिजवाये गये। इनमें झुंझुनूं चूरु एवं गंगानगर जिलों की क्षारीय क्षेत्रों हेतु जलप्रदाय योजना जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ की जा चुकी है। शेष परियोजनाएं यूरोपियन आर्थिक समुदाय (यूरोपियन यूनियन), विश्व बैंक/ओइसीएफ जापान के विचाराधीन है।
नगरीय विकास	1. प्रमुख नगरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर में आधारभूत संरचना के विकास हेतु परियोजनाएं	ये परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में नगरीय विकास विभाग से तैयार करवाये गये हैं, जिन्हें आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को उपयुक्त संस्था से वित्तीय सहायता हेतु भिजवाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।
महिला विकास	परियोजना तैयार की जा रही है।	
गरीबी उन्मूलन	परियोजना तैयार की जाएगी।	

४५

आधारभूत संरचना

सड़कों का विकास	1. राज्य सड़क परियोजना	पहले से तैयार कर भिजवाई गयी यह परियोजना विश्वबैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।
	2. राज्य सड़क एवं पर्यटन सड़क परियोजना 3. एक हजार से अधिक जनसंख्या (1981) वाले सभी गाँवों को बी.टी.सड़क से जोड़ने वाली सड़कों की परियोजना 4. अनु. जाति बहुल जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने वाली परियोजना 5. मौजूदा साधारण सड़कों को बी.टी. सड़क में परिवर्तित करने की परियोजना 6. तेरह सौ पचहत्तर अनकनेक्टेट पंचायत मुख्यालय गाँवों को बी.टी.सड़कों से जोड़ने वाली परियोजना।	सार्वजनिक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं के प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजकर विश्व बैंक, यूरोपियन यूनियन, ओइसीएफ एवं जापान से सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं। केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्त्रालय के अनुसरण के फलस्वरूप राज्य सड़क एवं पर्यटन सड़क परियोजना विश्व बैंक को भिजवादी गयी है।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

37. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय रीको, उदयपुर में वर्ष 1988 से 1990 के मध्य किन कर्मचारियों का सेवा में रहते निधन हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मृतक कर्मचारियों के किन-किन आश्रितों को कॉर्पोरेशन द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस प्रकार किया गया तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रकार की अभी चुकायी जानी लम्बित है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के दौरान मृतक कर्मचारियों की जमा राशि में से आवास ऋण की कटौती कर भुगतान किया गया? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(4) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कॉर्पोरेशन की सेवा में लिये जाने संबंधी क्या नियम हैं। प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या मृतक कर्मचारी के दत्तक पुत्र को भी कार्पोरेशन में किसी सेवा पर लिया जा सकता है? यदि हां, तो इस संबंध में कार्पोरेशन के पास उक्त अवधि के दौरान मृतक कर्मचारियों के दत्तक पुत्र के आधार पर कार्पोरेशन की सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में कितने दावे विचाराधीन हैं तथा क्या कार्पोरेशन उन्हें सेवा में लिये जाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक तथा अब तक विलम्ब के क्या कारण हैं? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) वर्ष 1988 से वर्ष 1990 के मध्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर में केवल

(४६)

(उद्योग मंत्री)

कर्मचारी, श्री रायसिंह, सहायक-कम चौकीदार था, निधन हुआ है।

(2) स्व. श्री रायसिंह के आश्रितों को लेकर वैधानिक आपत्ति थी, जिसके निराकरण के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर बकाया राशि का भुगतान श्री गोपसिंह को किया जा रहा है। जिसके चैक तैयार कर उनकी प्राप्ति हेतु श्री गोपसिंह को सूचित किया गया है। राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

I जमा राशि

1. सी.पी.एफ की राशि	रु. 32,380.00
2. वेतन आदि की राशि	रु. 6,035.15
कुल राशि	रु. 38,415.15

II स्व. श्री रायसिंह से वसूली योग्य राशि जिसका समायोजन उक्त राशि में से किया जाना है।

1. आवास अग्रिम ऋण राशि	रु. 20,917.00
2. आवास अग्रिम ऋण पर ब्याज की राशि	6,791.00
योग	रु. 27.708.00

III कुल देय राशि (I-II) रु. 10,707.15

3. जी नहीं।

4. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को निगम की सेवा में लिये जाने के पृथक से नियम है कि जिसकी प्रति संलग्न है।

5. मृतक कर्मचारी के विधिक दत्तक पुत्र को निगम की सेवा में लिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में मृतक कर्मचारियों के दत्तक पुत्रों को निगम की सेवा में लिये जाने सम्बन्धी कोई भी दावा विचाराधीन नहीं है।

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Rules shall be called RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION (RECRUITMENT OF DEPENDENTS OF EMPLOYEES DYING WHILE IN SERVICE) RULES, 1985.

(ii) These Rules shall come into force with effect from September 1,1985.

2. DEFINITIONS :

In these rules unless the Context otherwise requires :

(i) "Appointing Authority" means any other officers to whom powers have been delegated by the Board of Directors/working committee of the Board of Directors/working committee of the Board of the corporation to exercise the powers and functions of the appointing Authority under the relevant Rules, if any.

(ii) "Board" means the board of Directors of the corpn.

(iii) "Chairman" menas the chairman of the Board of Directors of the corporation.

(iv) "Corporation" means Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited.

(v) "Deceased employee" means an employee of the corpn., who dies while in service.

(vi) "Employee" means a person employed in connection with the affairs of the corporation and who :

(a) was permanent in such employment; or

(b) though not permanently appointed but had put in one year continuous service in a regular vacancy in such employment; or

(c) though temporary but had been regularly appointed in such employment and;

(d) includes an employee who has been sent on deputation.

(vii) "Family" means the family of the deceased employee and shall include:

(a) wife or husband; or

(b) legitimate children, step children; or

(c) unmarried or widow daughters

provided that if no such member of the family becomes eligible for getting benefit under these Rules, the benefit available under these Rules may be extended to any other close relative of the deceased to be named by the widow or the Guardian of the children of the deceased with the specific approval of the Chairman.

Explanation : (1) The term "Legitimate children will include adopted children adopted according to the provisions of law."

(2) Employee's legitimate daughters and step-daughters

whose Gauna or Ruksat has been performed shall not be regarded as wholly dependent on deceased employee.

3. APPLICATION :

These Rules shall be applicable for recruitment of dependents of the deceased employee of the corporation.

4. RECRUITMENT :

(i) In case of deceased employee of the corporation, one member of his/her family, who is not already employed under the Central/State Govt. or Statutory Board/Organisation/corporation owned or controlled by the Central/State Govt., shall on making an application for this purpose, be given suitable employment in the corpn. without delay only against an existing vacancy, in relaxation of the normal recruitment rules provided such member fulfills the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for the service in the corporation.

(ii) In the event of non-availability of a vacancy, such cases shall be considered immediately on the availability of the post/vacancy.

(iii) In the event of non-availability of any member of the family, being unqualified or minor is not found suitable or eligible for immediate employment, such cases shall be considered immediately when any one of them becomes qualified/eligible for such employment under these rules.

5. APPLICATION FOR EMPLOYMENT :

(1) An application for appointment under these Rules, shall be addressed to the Appointing Authority in respect of the post for which appointment is sought but it shall be sent to A & P Division through the Head of the Division/Unit Incharges where the deceased employee was serving prior to his/her death. The applications inter-alia, shall contain the following information :

(a) The name & designation of the deceased employees;

(b) Division/Unit in which he was working prior to his/her death;

(c) The date & place of the death of the deceased employee (The copy of the Death Certificate of the competent Authority has to be enclosed in support of the proof);

(d) The last pay drawn and the pay scale of the deceased employee;

(e) Names, Ages and other details pertaining to all the family members of the deceased, particularly about their marital status, employmet position;

(f) Details of the financial condition of the family;

(g) Name, Date of birth, educational & other qualification if any, of the applicant alongwith his/her relation with the deceased employee.

6. **PROCEDURE WHEN MORE THAN ONE MEMBER OF THE FAMILY SEEKS EMPLOYMENT :**

If more than one member of the family of the deceased employee seeks employment under these Rules, the Appointing Authority shall decide about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the overall interest of the welfare of the entire family, particularly the widow and the minor members thereof.

7. RELAXATION FOR AGE AND OTHER RECUIREMENT :

(1) The candidates seeking appointment under these rules must not be less than 18 years and more than 40 years at the time of appointment. In the cases in which the wife of the deceased employee being the only candidate found qualified eligible for such employment, there shall be no maximum upper age limit.

(50)

(2) The procedural requirement for recruitment, such as written test, typing test or interview by a selection committee or any other Authority shall be despensed with, but it shall be open to the Appointing Authority to interview the candidate in order to satisfy that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work & efficiency expected on the post or to prescribe any condition, if considered necessary, for acquiring any training or porficiency e.g. typing speed or any other qualification etc., within a reasonable period, after such employment under these Rules.

8. **SATISFACTION OF APPOINTING AUTHORITY AS REGARDS GENERAL QUALIFICATIONS :**

Before a candidate is appointed, the Appointing Authority shall satisfy itself that :

The Character of the candidate is such as to render him/her suitable in all respect for employment in the services of the corporation;

Explanation : Persons dismissed by the central/State Government or by statutory Board/Organisation/corporation owned or controlled by the central/state Government shall be deemed to be ineligible for appointment.

(b) He/She is in good mental & physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties, for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the rules applicable in this regard; and

(c) In the case of male candidates, he has not more than one wife living and in case of a female candidate, she has not married a person already having a wife living.

9. INTERPRETATION :

If any question arises relating to the interpretation of these Rules, the matter shall be referred to the Chairman whose decision thereon shall be final.

10. REPEAL AND SAVING :

All Rules/Regulations corresponding to these Rules in force immediately before the commencement of these Rules are hereby repealed, but any order made or action taken under the Rules/Regulations so replaced, shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these Rules.

बूंदी, कोटा, बांरा तथा झालावाड़ जिलों के कारखाने

38. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में बूंदी, कोटा, बांरा तथा झालावाड़ जिलों में कितने छोटे व बड़े कारखाने लगे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन उद्योगों को लगाने में कुल कितनी कृषि भूमि का उपयोग किया गया तथा किस दर से कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया?

(3) इन उद्योगों में कुल कितने श्रमिकों को सीधा रोजगार दिया जा रहा है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में कोटा, बूंदी, झालावाड एवं बांरा में स्थापित हुए उद्योगों की सूचना निम्नानुसार है :

क्रम	जिले का नाम	लघु औद्यो. एवं आर्टिजन इकाइयों की संख्या	वृहद् एवं मध्यम औद्यो. इकाई सं.
1.	कोटा	1029	6
2.	बूंदी	432	3
3.	झालावाड़	355	1
4.	बांरा	188	1
		2004	11

(2) रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में 490.12 बीघा कृषि भूमि उद्योग हेतु अवाप्त की गयी उक्त भूमि का किसानों को मुआवजा रुपये 8,000/- से 10,000/- प्रति बीघा के हसाब से कुल राशि 61.45 लाख रु. का भुगतान वर्ष 1993-94 में किया गया है।

(3) इन उद्योगों में जिलेवार निम्नानुसार रोजगार दिया गया है :

क्रम	जिले का नाम	लघु उद्योगों में नियोजन	वृहद् एवं मध्यम उद्यो. में नियोजन
1.	कोटा	3964	710
2.	बूंदी	1087	294

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4
3.	झालावाड़	1051	346
4.	बांरा	550	150
		6652	1500

ताम्रपत्र धारी स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन

39. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने केन्द्रीय स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान पेंशन योजना राज्य में लागू कर रखी है? यदि हां, तो इस सम्बन्धी जारी नियम/आदेश/परिपत्र की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1983 में यह घोषणा की गयी थी कि जिन ताम्रपत्र धारी स्वतन्त्रता सैनानियों ने पेंशन प्राप्त करने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे दिनांक 31-12-1983 तक अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दें? यदि हां, तो क्या ताम्र पत्र धारी स्वतन्त्रता सैनानी मास्टर किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) द्वारा भी निर्धारित प्रार्थना-पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 6(1) साप्र/मुप=2/80, दिनांक 1-9-1986 के द्वारा श्री शर्मा का प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार की सिफारिश सहित पेंशन स्वीकृति हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भिजवाया था? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार वर्ष 1988-89 में दस प्रमुख स्वतन्त्र सैनानियों के नाम पेंशन स्वीकृति हेतु वायरले संदेश भारत सरकार को भेजे थे? यदि हां, त उनमें से किन-किन की पेंशन स्वीकृत हुई ए किस-किस की नहीं? सूची मय कारणों सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन स्वतन्त्रता सैनानियों को अ तक भी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है, उनके संब में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा र है? इस संबंध में लिए गए निर्णय की प्र सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान सरकार के पृथक राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंश- 1959 बने हुए हैं, जिनके अन्तर्गत राजस्थ- सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

(2) घोषणा की गयी प्रतीत नहीं होती ं मास्टर किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) से प्र प्रार्थना पत्र भारत सरकार को मूल में ही दिन- 1.9.86 को भेज दिया गया इसलिए प्रार्थना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना सम् नहीं है।

(3) जी हां। भारत सरकार को भेजे पत्र की प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। पेंशन स्वीकृति हेतु भ- सरकार को वायरलेस संदेश नहीं भेजा ज- था।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(5) भारत सरकार के पेंशन संबंधी नियमों के अन्तर्गत पेंशन भारत सरकार द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत पेंशन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। उक्त नियमों के नियम 14 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 17.9.91 तक थी। उक्त तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया गया है।

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

प्रेषित :

अवर सचिव,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
स्वतंत्रता सैनानी प्रकोष्ठ,
नई दिल्ली।

क्रमांक : एफ 6(1)साप्र/2/80 जयपुर, दिनांक : 1-9-86

विषय : केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत कराये जाने हेतु श्री मास्टर किशनलाल शर्मा, नई हवेली, नाथद्वारा, जिला उदयपुर से प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

1. मंत्री, आर्य समाज, अजमेर का प्रमाण-पत्र।
2. आर्य मार्तण्ड, साप्ताहिक पत्र की प्रति।
3. "अजमेर का जत्था" की फोटोस्टेट प्रति।
4. सन् 1942 में 21 अगस्त से एक वर्ष से अधिक का सहबंदी प्रमाण-पत्र ताम्रपत्र

स्वतंत्रता सैनानियों के पेंशन संबंधी मामलों की जांच हेतु गठित उप-समिति ने केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन हेतु सिफारिश की है।

इनका आवेदन पत्र दिनांक 16-12-85 को प्राप्त हुआ है। अतः निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से प्रार्थी को एवं इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह.
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :
1. संबंधित प्रार्थी
2. संबंधित जिलाधीश
3. रक्षित पत्रावली।

ह.
सहायक शासन सचिव

(५४)

मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा दूरभाष पर व्यय

40. हरिसिंह (कुम्हेर) एवं **श्री रामपाल** उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य मंत्री मण्डल के मंत्री/राज्य मंत्री व उप मंत्रियों को टेलीफोन की समान सुविधा है तथा काल्स राशि की सीमा निर्धारित नहीं है? राज्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य के शपथ लेने की तिथि से 31-8-1994 तक टेलीफोन, यात्रा, आवास, आतिथ्य एवं वाहन पर हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों के शपथ लेने के दिनांक से 31.8.94 तक मदवार व्यय का विवरण :—

मंत्री परिषद के सदस्यों के शपथ लेने के दिनांक से 31-8-94 तक मदवार व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम मंत्रीगण	टेलीफोन		यात्रा	आवास	आतिथ्य	वाहन	
		कार्यालय	निवास				स्थानीय	दौरा
1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	126838/-	148758/-	142455/-	–	192848/-	67096/-	54767/-
2.	श्री भंवरलाल शर्मा	46777/-	19511/-	3416/-	7806/-	3608/-	17355/-	7313/-
3.	श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी	70057/-	210227/-	25715/-	–	13498/-	52552/-	258657/-
4.	श्री गंगाराम चौधरी	167147/-	242451/-	11202/-	–	32434/-	45175/-	142429/-
5.	श्री गुलाबचन्द कटारिया	55222/-	57885/-	42254/-	–	16056/-	48654/-	124069/-
6.	श्री सुजान सिंह यादव	38209	85784/-	17874/-	–	9789/-	48946/-	108893/-
7.	श्री देवी सिंह भाटी	114254/-	165446/-	4402/-	–	17873/-	41700/-	166765/-
8.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	22773/	63122/-	12653/-	–	7697/-	31072/-	139309/-
9.	श्री कैलाश मेघवाल	31317/-	34997/-	1125/-	–	3509/-	23813/-	29729/-
10.	श्री नाथूसिंह गुर्जर	32295/-	4925/-	31848/-	–	172/-	48823/-	96556/-
11.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	81530/-	136178/-	19751/-	–	2963/-	45010/-	132540/-
12.	श्री रोहिताश्व कुमार	24497/-	71117/-	11366/-	–	2143/-	44420/-	103556/-
13.	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	53645/-	130793/-	38129/-	–	8069/-	40491/-	161406/-
14.	श्री किशन सोनगरा	45712/-	48357/-	9497/-	–	10616/-	39536/-	105907/-
15.	श्री ज्ञान सिंह चौधरी	31199/-	9966/	13595/-	–	17729/-	33798/-	122825/-
16.	श्रीमती शशि दत्ता	54662/-	79952/-	6477/-	–	9191/-	44217/-	110200/-
17.	श्री नन्दलाल मीणा	72631/-	52663/-	11389/-	–	3383/-	36550/-	106717/-
18.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर	50654/-	112836/-	21646/-	–	8458/-	39823/-	145804/-

55

क्र.सं. नाम मंत्रीगण	टेलीफोन		यात्रा	आवास	आतिथ्य	वाहन	
	कार्यालय	निवास				स्थानीय	दौरा
19. डॉ. रामप्रताप	52814/-	66762/-	8368/-	–	14899/-	42885/-	109685/-
20. श्री अनंग कुमार	87663/-	125988/-	22829/-	–	12104/-	55073/-	166215/-
21. श्री मदन दिलावर	78465/-	23324/-	6132/-	–	26901/-	46394/-	185055/-
22. अचलाराम मेघवाल	57278/-	27976/-	17159/-	–	8276/-	42179/-	88900/-
23. श्री सांवरमल जाट	90210/-	127817/-	13688/-	–	14294/-	49704/-	185592/-
24. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा	104275/-	89765/-	9505/-	–	1044/-	38807/-	105193
25. श्री गुरजन्ट सिंह	73409/-	109893/-	14752/-	–	18582/-	46318/-	138983/-
26. श्री मंगल राम	53019/-	172256/-	13446/-	–	16504/-	39792/-	156173/-

धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण पर व्यय

41. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा वर्ष 1990 से अब तक राजस्थान में धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिये कुल कितनी सड़कें एवं राशि कहां-कहां पर स्वीकृत की गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 1990 से अब तक कुल कितने धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति दी गयी तथा उन पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने संबंधी कई आवेदन लम्बित हैं ? यदि हां, तो उन्हें स्वीकृत करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक राजस्थान में इस विभाग द्वारा कुल 21 सड़क रुपये 232.40 लाख की स्वीकृत की है जिनका विवरण संलग्न सूची "अ" में दिया गया है।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 1990 से अब तक धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिये एक सड़क स्वीकृत की गयी जिस पर कुल व्यय 6.54 लाख का हुआ है।

(3) जी नहीं। फिलहाल कोई योजना नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)	दिनांक
1.	झालावाड	सम्पर्क सडक जूनाखेडा से मोदी का झाल	6.00	एमएनपी 90-91 डी-2545 15.12.90
2.	पाली	घानेराव (देखरो) से मूछला महावीर जी	9.00	" "
3.	उदयपुर	प्रशाद से थानेश्वर महादेव	9.00	" "
4.	बून्दी	सम्पर्क सडक शिवजी का मंदिर (भीमलात)	7.50	रुरल रोडडी 115 17.5.91
5.	झालावाड	सम्पर्क सड़क हनुमानजी का मंदिर (रायपुर)	2.00	" "
6.	बांरा	सम्पर्क सडक बामोलिया माताजी	4.00	" "
7.	झालावाड	सम्पर्क सडक देव नारायण मंदिर	8.00	एमएनपी/91-92 डी-783 23.9.91
8.	कोटा	सम्पर्क सडक दाद देवी से चारण चौकी मंदिर श्रीनाथ जी	4.87	" "

(58)

क्र.सं.	जिला	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)	दिनांक
9.	पाली	सोमेश्वर स्टेशन से गुढा ठाकुर जी	8.00	एमएनपी/91-92 डी 1258 21.1.92
10.	सवाई माधोपुर	सम्पर्क सडक मंदिर माताजी चौथ का बरवाड़ा	4.50	" "
11.	बांरा	सम्पर्क सडक नागदा शिवजी का मंदिर	10.00	" "
12.	बून्दी	सम्पर्क सडक कपलेश्वर महादेव का मंदिर	24.00	" "
13.	चूरू	सम्पर्क सडक सावा बस स्टेण्ड से रामदेव जी का मंदिर	3.00	" "
14.	कोटा	दीगोध निमोडा सडक से सम्पर्क छोटा माता जी का मंदिर वाया चन्द्राविला	— 20.00	एमएनपी/94-95 डी-114 13.5.94
15.	कोटा	सम्पर्क सडक दाददेवी मंदिर वाया इंदिरा नगर व आर एम सी	10.40	" "
16.	नागौर	रामसिया खुर्द माताजी सडक का निर्माण	18.00	" "
17.	पाली	सोजत रामसर बाला से रामदेवजी मंदिर	12.00	जोधपुर/डी-470 16.11.91
18.	उदयपुर	सरदारगढ से कटरा महादेव सडक का निर्माण	19.20	13.5.94
19.	उदयपुर	डामर सडक ऋषभदेव को जावाडा से भूदर (1638) (4 किमी.)	8.00	194/5054/डी एण्ड डी प्लान/94-95
20.	टौंक	पटेल सर्किल घण्टाघर से एनएचडब्ल्यू 12 बड़ा कुआ की मस्जिद तक चौड़ी करने का कार्य (3 किमी.)	15.00	134/5054/शहरी सड़क/प्लान/94-95
21.	कोटा	कोटा खातन (सवाईमाधोपुर) सड़क पर चम्बल नदी पर झर के बालाजी के पास वेन्टेड काजवे का निर्माण कार्य	38.00	
		कुल	232.40	

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सोजत (पाली) उपखण्ड के कार्यों हेतु आमंत्रित निविदायें

42. श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप खण्ड सोजत सिटी (पाली) में विभाग के कार्यों के तहत गत दो वर्ष में अधिशाषी अभियंता द्वारा बिना समाचार पत्रों में निविदा दिये शोर्ट टैण्डर अर्थात् अन्य रीति से ठेकेदारों से कौन-कौन से कार्य करवाये गये? प्रतयेक कार्य व स्वीकृत करने की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की दिनांक व किये गये भुगतान की दिनांक तथा ठेकेदार का नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशाषी अभियंता, सोजत सिटी (पाली) ने बिना टैण्डर के अति आवश्यक कार्य बताकर जो बिना निविदा कार्य करवाये हैं उनमें भारी घोटाला किया गया है एवं घटिया सामग्री काम में ली जाकर ठेकेदार विशेष को फायदा पहुँचाया गया है?

(3) क्या सरकार अधिशाषी अभियंता के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप खण्ड सोजत सिटी में विभागीय कार्यों के तहत पिछले दो वर्षों में बिना समाचार पत्रों में निविदा दिये करवाये गये कार्यों का चाहा गया पूर्ण ब्यौरा संलग्न सूची "अ" में दिया गया है।

(2) बिना निविदायें प्रकाशित करवाये अतिआवश्यक छोटे कार्यों को नियमानुसार निविदा/कोटेशन प्राप्त कर ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है तथा उनमें घटिया सामग्री उपयोग में लेकर भ्रष्टाचार या किसी ठेकेदार विशेष को फायदा पहुँचाने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। कार्य नियमानुसार करवाया गया है अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

रामगढ़ (अलवर) में बाइपास रोड का निर्माण

43. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ जिला अलवर में आवागमन अधिक होने से यातायात अवरुद्ध होता रहता है?

(2) क्या सरकार रामगढ़ कस्बे में बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं, रामगढ़ जिला अलवर में ऐसा आवागमन अभी बढ़ने की कोई जानकारी नहीं है जिससे यातायात अवरुद्ध हो सके।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) रामगढ़ कस्बे में नया बाई पास बनाने का सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चित्तौड़गढ़ से रावतभाटा के मध्य मार्ग में पुलिया निर्माण

44. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में चित्तौड़गढ़ से रावतभाटा जाने के लिये 20 कि.मी. मध्य प्रदेश में से होकर गुजरना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त 20 किलोमीटर मार्ग में बरड़ावदा का खाल, थड़ौद का नाला, धन गांव का खाल, तुरकिया का खाल जिन पर पुलियाएं नहीं होने से किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय प्रशासन को चित्तौड़गढ़ से रावतभाटा पहुँचने में देरी लग जाती है ?

(3) क्या सरकार की ओर से उक्त नालों पर पुलियाएं बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्या अब इस सन्दर्भ में कोई कदम उठाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ से रावतभाटा जाने के लिये 20 कि.मी. लम्बाई में सड़क मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में होकर गुजरती है।

(2) 20 कि.मी. मध्य प्रदेश राज्य सीमा की डामर सड़क में वर्णित नालों पर फलश काजवे (रपट) बने हुए हैं जिनमें पूरी वर्षा ऋतु में पानी बहता रहता है जिससे नाले के मध्य सड़क की स्थिति खराब होने से सड़क के इस भाग में यात्रा में अधिक समय लगता है। वर्षा के दिनों में रपटों पर पानी बहने से यातायात अवरुद्ध रहता है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार से उक्त नालों की पुलिया बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

जखाना से रायथल (बूंदी) सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि

45. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जखाना से रायथल (बूंदी) सड़क, भूमि खसरा संख्या 291 एवं 291/787 ग्राम पीपल्या में होकर निकाली जाने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

(2) क्या उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु

(श्री रामनारायण मीणा)

अदा की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

उत्तर

(1) जी हां।

भूमि अवाप्ति हेतु निर्धारित प्रक्रियां में लगने वाली अवधि जैसे धारा (4), धारा (6) की कार्यवाही भूमि अवाप्ति एक्ट के अन्तर्गत पूर्ण होने पर अवाप्ति की जाएगी।

(2) अवार्ड स्वीकृत हो जाने पर तयशुदा मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत योजना मद से किया जाएगा।

कवाई-छीपाबड़ौद सड़क मार्ग में आने वाली नदियों पर पुलिया निर्माण

46. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिडावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कवाई-छीपाबड़ौद सड़क पर आने वाली ल्हासी नदी (मंवासा) गुलखेड़ी नाला (कवाई-छबड़ा) के बीच आने वाली ल्हासी नदी पर धर्नावदा-छबड़ा के बीच भूलोन नदी पर एवं छबड़ा कुम्भराज रोड पर हिंगलोट में नदी के ऊपर विभाग द्वारा पुलियाएं बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

(2) क्या इनमें से किसी पुलिया का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कौन-कौन-सी पुलियाओं का ? विवरण मय पुलिया की लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) वित्तीय वर्ष 1994-95 में उपरोक्त कोई भी पुलिया प्रस्तावित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से उपादेय (फीजिविल) होने पर ही इन पुलों के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य

47. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकाल राहत में ग्राम रायथल, तहसील आमेर से ग्राम छोटी डूंगरी तहसील फुलेरा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो ग्राम रायथल से ग्राम रामपुरा (पंचायत छोटी डूंगरी) तक कितना सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ एवं राशि किस-किस मद पर खर्च की गई ? आदेश की प्रति एवं मदवार खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य पर कितने मजदूर कब-कब, किस-किस मस्टररोल नम्बर से लगाये गये ? क्या उक्त मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? मस्टररोल की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

६२

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण रहे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रायथल (तहसील आमेर) से ग्राम छोटी डूंगरी के बीच की दूरी 6 कि.मी. है, में से 1 $\frac{1}{2}$ कि.मी. मिट्टी का कार्य तथा 200 मीटर ग्रेवल का कार्य हुआ है। स्वीकृत आदेश की प्रति "अ" संलग्न है, किये गये व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है :—

मजदूरी मद	रुपये	85,689.00
सामग्री मद	रुपये	11,000.00
कुल योग	रुपये	96,689.00

(2) सड़क पर लगाये गये मजदूरों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

क्र.सं.	पखवाड़ा	मस्टररोल संख्या		लगाये गये मजदूरों की संख्या
1.	16.5.94 से 31.5.94	754350 से 51	(2)	32
2.	1.6.94 से 15.6.94	989808 से 10	(3)	70
		089151	(1)	
3.	16.6.94 से 30.6.94	017790 से 92	(3)	140
		989942 से 43	(2)	
		089575 से 76 एण्ड 78	(3)	
4.	1.7.94 से 15.7.94	017941 से 46	(6)	164
		091372 से 75	(3)	
		योग	23	406

तहसील फुलेरा के श्रमिकों का भुगतान कर दिया गया है तथा तहसील आमेर का आंशिक भुगतान किया गया है तथा शेष भुगतान एक सप्ताह की अवधि में कर दिया जायेगा। मस्टररोल की छाया प्रतिया संलग्न है।

(3) रायथल से छोटी डूंगरी सड़क का निर्माण वर्तमान में योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण प्रस्तावित नहीं हैं। ग्राम छोटी डूंगरी (पंचायत मुख्यालय) आबादी 1177 (71) को चौमूं-रेनवाल डामर सड़क से न्यूनतम दूरी के आधार पर कृषि विकास योजना (विश्व बैंक सहायता) के अन्तर्गत स्वीकृत है जिसका कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा तृतीय चरण में निर्माण कराया जायेगा।

(प्रतियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

48. **श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) एवं **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री टीकमचंद कान्त)

(1) क्या कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं? यदि हां, तो कक्षावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त छात्रों को छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में? वर्ष 1992-93 में कितने छात्रों को कितनी राशि दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? इस वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आदिवासी/हरिजन समुदाय के छात्रों को कब तक छात्रवृत्ति की राशि अदा कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न वर्षों में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की कक्षावार संख्या परिशिष्ट में संलग्न है।

(2) जी हां। कोटा खुला विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति नियम 1989 के उप नियम 9 के अनुसार नान रिफण्डेबल फीस के रूप में छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इन नियमों के अन्तर्गत मासिक छात्रवृति देय नहीं है। वर्ष 1992-93 में अनुसूचित जाति के 26 व अनुसूचित जनजाति के 35 कुल 61 छात्रों को 41813 रुपये की छात्रवृति स्वीकृत थी, जो वितरित की जा चुकी है।

(3) वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जाति के 31 व अनुसूचित जनजाति के 49 छात्रों कुल 80 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत है इनमें 23425 रु. जयपुर केन्द्र के विद्यार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं जबकि अन्य विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति के शीघ्र वितरण की संभावना है।

सूची

कोटा खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 1990-91 एवं 91-92

		विद्यार्थी संख्या 1990-91			विद्यार्थी संख्या 1991-92		
		कुल	एस.सी.	एस.टी.	कुल.	एस.सी.	एस.टी.
1.	बी.ए.पी.	2349	172	117	2650	197	136
2.	बी.सी.पी.	279	11	4	184	2	–
3.	बी.ए.एफ.	222	3	4	199	2	2
4.	बी.सी.एफ.	87	–	1	17	–	–
5.	बी.एई.	637	31	32	839	63	34
6.	बी.सी.ई.	62	1	1	88	8	1
7.	बी.जे.एम.सी.	458	13	16	284	17	9

		कुल	विद्यार्थी संख्या 1990-91 एस.सी.	एस.टी.	कुल.	विद्याथी संख्या 1991-92 एस.सी.	एस.टी.
8.	डी.आई.एम.	314	07	–	263	6	2
9.	ए.डी.आई.एस.	–	–	–	08	–	–
10.	डी.एल.एल.	1570	147	71	3099	194	132
11.	सी.सी.पी.	320	7	7	153	2	2
12.	बी.एड.	6766	305	111	–	–	–
	योग	13084	697	364	7734	492	318

कृषकों के नाम से नामान्तरकरण की गई मन्दिरों की भूमि प्रकरण

49. **श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने मंदिरों की भूमि जिसका कि नामान्तरकरण अन्य कृषकों के नाम से पूर्व में कर दिया गया था उसे निरस्त कर वापिस नामान्तरकरण मंदिरों के नाम से खोले जाने बाबत कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में मंदिर श्री सीताराम जी का स्थित है जिसकी सेवा पूजा हेतु पूर्व में जागीर थी, जब माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके देह पुजारी श्री हरिदास चेला श्री राधाकिशन दासजी के नाम से खाता नम्बर 47 व 48 खसरा नम्बर 3,4,6,7,8,176,186 व 187 का कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा की भूमि थी, क्या अधिकारियों की भूल के कारण अन्य कृषकों के नाम से दर्ज कर दी गई हैं? यदि हां, तो उक्त भूमि किस-किस के नाम से दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब खाता नं. 47 व 48 तथा अन्य खाते जिनकी भूमि पूर्व में माफी मंदिर श्री सीतारामजी कानरपुरा के नाम से थी का वापस नामान्तरकरण माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह वर्तमान पुजारी के नाम दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) ग्राम कानरपुरा तहसील चौमू की मिसल वन्दोबस्त सम्वत् 2007 के अनुसार खाता संख्या 47 में कालम सं. 3 भोक्ता माफी मंदिर सीताराम जी वाके देह पुजारी हरिदास चेला राधा किशन दास कोम स्वामी साकिन देह दर्ज है तथा कृषक के कालम सं. 5 में ईसरदास व सुखदास चि. मंशादास कोम स्वामी सा. देह व हिस्सा बराबर मु. कदीम दर्ज है। ख. नं. 3,4,6,7,8 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा है खाता संख्या 48 में कालम सं. 3 में भोक्ता खाता सं. 47 के अनुसार दी है कालम संख्या 5 में कृषक हनुमान नोंदा, नारायण वल्द भूरा कौम अहीर

(राजस्व मंत्री)

साकिन देह व हिस्सा बराबर मु. 3 साल अंकित है ख.नं. 176, 186 व 187 का रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा है।

वर्तमान में खसरा नं. 3,4,6,7 व 8 की खातेदारी नाथूराम, मुरलीदास पि. सुखादास हि. 1/3 चन्दरदास शंकर दास पि. बिरदादास हि. 1/3 दर हि. 1/2 रुंडादास धन्नादास, गुल्लादास, भोपीलाल ओंकार दास पि. ईश्रदास हि. 1/3 कौम स्वामी तथा खसरा नं. 176, 186 व 187 की खातेदारी सूण्डा पुत्र हनुमान नारायण पुत्र भूरा अहीर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि किन कारणों से कृषकों के नाम दर्ज हुयी इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है।

(3) कारणों का पता लगाने पर ही कार्यवाही की जाएगी।

प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प 2(4)राज/4/90/37 जयपुर, दिनांक 13-12-91

प्रेषित : उप निवेशन आयुक्त, बीकानेर।
भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।
समस्त जिला कलक्टर्स।

परिपत्र

विषय : मन्दिर देव मूर्ति की खातेदारी भूमि में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम के सम्बन्ध में।

1. यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है कि जिन मंदिरों की निजी भूमि है उनके सम्बन्ध में देव मूर्ति के नाम के साथ पुजारी या शिवायंत के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड (जमा बन्दी) में होना चाहिए अथवा अलग से इस प्रयोजन हेतु बनाये गये किसी अन्य रिकार्ड में। देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है तथा देव मूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस बिन्दु का विधि विभाग से भी परीक्षण कराया गया तथा विधि विभाग ने इस पर उपरोक्त राय से सहमति व्यक्त की है।

2. जमाबन्दी अभिलेख रिकार्ड ऑफ राइटस अर्थात् रिकार्ड आफ टेनेन्सी राइटस है जिसकी प्रविष्टि से कृषक के काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जमाबन्दी में केवल काश्तकारी कानून में कृषक के अधिकार ही दर्ज किये जाते हैं। मन्दिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किस के द्वारा की जावेगी तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार आदि के विवाद का हल किस प्रकार होगा यह पूर्णतया दीवानी मामलें है जो केवल दीवानी न्यायालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं तथा वही इन्हें तय करने में सक्षम है। इनका सम्बन्ध न तो राजस्व रिकार्ड से है और न ही यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

66

3. राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की वसूली इत्यादि कार्यवाही की सुविधा के हिसाब से पुजारी का नाम भी देव मूर्ति के नाम के साथ जमाबन्दी में लिखने की परम्परा चली आ रही है जब कि सही स्थिति यह है कि पुजारी या शिवायत का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होना चाहिए। जमाबन्दी में ऐसे इन्द्राजों का गत वर्षों में काफी दुरुपयोग किया गया है। देव मूर्ति की भूमि की खातेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करा ली है तथा पुजारियों द्वारा हजारों अवैध हस्तान्तरण/बेचान हुए है जिसमें अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ी है। ऐसे अवैध हस्तान्तरण/बेचानों को निरस्त कराने हेतु अनगिनत "रेफरेन्स" राजस्व मण्डल में किये गये हैं व किये जा रहे हैं।

4. पुजारी या शिवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार है तो वह एक दीवानी अधिकार है जिसका सम्बन्ध दीवानी न्यायालय से है। राजस्व कानूनों अथवा काश्तकारों के अधिकारों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के सम्बन्ध में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(1) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावें।

(2) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्म में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मन्दिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(3) जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावें। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिर्मांक के कालम में अंकित किया जावे।

(4) यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(5) इन निर्देशों की पालना दि. 31-1-92 तक अवश्य की जानी चाहिए तथा इसकी पालना रिर्पोट शीघ्र भिजवावे।

(6) कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना भिजवायें।

आज्ञा से,
ह.
उप शासन सचिव

आकड़ सादा (भीलवाड़ा) के पटवार सर्किल में सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि

50. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम आकड़सादा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के पटवार सर्किल में सरकार ने सीलिंग कानून के तहत कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की है। ? खसरावार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवाप्त भूमि पर किस-किस ने नाजायज कब्जा कब से कर रखा है, खसरा वार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) नाजायज कब्जों को हटाने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) जिन-जिन व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे कर रखें है उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या उनसे वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी कितनी और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस सीलिंग कानून में अवाप्त भूमि के विरुद्ध किसी ने न्यायालय से स्थगन आदेश लिया है ? यदि हां, तो इसे निरस्त करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? उक्त भूमि को आवंटन करने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) श्री लक्ष्मीनारायण व्यास और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर उक्त पटवार सर्किल में कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई व कितनी पर उनके द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम आकड़सादा तह. आसीन्द में सिलिंग कानून के तहत वर्ष 1987 में भूमि अधिग्रहण की गई थी उसका खसरा वाईज विवरण संलग्न परिशिष्ट (ए) सदन की मेज पर रख दिया हैं।

(2) अधीग्रहीत भूमि पर पूर्व में नाजायज कब्जे किये हुये थे, उसका खसरा वाईज विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 (बी) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त अधिग्रहीत भूमि पर हुए नाजायज कब्जे को हटाने के लिये राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पूर्व में प्रतिवर्ष अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही हैं, किन्तु सक्षम उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा हटाने की प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी हैं।

(4) पूर्व में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया था, उन्हें न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार से हटाये जाने के निर्णय होकर, अतिक्रमियों के विरुद्ध 10786.00 रु. की शास्ती एवं फसल नीलामी की राशि की मांग कायम की गई, परन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहां का स्थगन आदेश होने के कारण इस राशि की वसूली नहीं की गई हैं।

68

(राजस्व मंत्री)

(5) यह भी उक्त ग्राम की सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई भूमि एवं धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के स्थगन होने के कारण भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की गई है। स्थगन आदेश निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

(6) श्री लक्ष्मीनारायण व्यास के नाम कोई भूमि आवंटन नहीं की गई हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री लादूलाल व्यास के नाम पर इसी ग्राम में सीलिंग भूमि में से 20 बीघा भूमि में आवंटित हुई थी। श्री लक्ष्मीनारायण व्यास एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों का सीलिंग कानून ने अधिग्रहित भूमि पर जो नाजायज कब्जा रहा है, उसका विवरण परिशिष्ट (बी) में ही अंकित किया हैं।

विवरण

ग्राम आकड़सादा में सीलिंग से अधिग्रहित भूमि जो बिलानाम वर्ष की गयी। अधिग्रहिण हेतु आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, महोदय गुलाबपुरा दि. 5-6-87

आराजी ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	विवि.
1364	3.05	पैटा गैमु.	
1363	1.00	"	
1369	2.08	"	
1386	4.04	"	
1387	2.16	"	
1388	4.01	"	
1389	5.19	"	
1321	3.05	"	
1357	2.02	"	
1358	4.04	"	
1359	4.06	"	
1364	34.00	"	
1428	6.14	पेटा II गैमु.	
1429	2.05	कु. III	
1430	3.19	"	
1431	1.11	"	
1438	6.01	"	

	आराजी ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	वि.वि.
	1439	0.16	पेटा II गै. मु.	
	1371	3.19	"	
	1373	0.01	आ. चा.	
	1374	5.10	पेटा I गै. मु.	
	1375	4.01	"	
	1376	1.14	"	
	1377	2.17	"	
	1384	4.08	"	
	1390	0.02	आ. चा.	
	1396	1.14	कु. चा.	
	1397	2.15	"	
	1398	2.10	"	
	1400	3.18	"	
	1401	2.12	"	
	1402	2.10	"	
	1403	2.07	"	
	1404	1.10	"	
	1412	2.03	"	
	1391	2.11	पेटा गैमु.	
	1392	4.0	कुIII	
	1418	0.18	"	
	1419	1.00	"	
	1420	2.09	कु. III	
	1423	2.13	"	
	1434	2.13	"	
	1421	5.09	पेटा गैमु.	
किता	44	162.07		

ग्राम आकसादा तह. आसींद में सिलिंग बिलानाम भूमि अतिक्रमण संबंधी सूचना

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	साबिक नं.	हाल ख.नं.	वर्तमान में अतिक्रमण साद रकबा (ह.)
1.	श्री लक्ष्मीनारायण किता	1342, 1343	2917	14.73
	घीसूलाल व्यास नि.	1344, 1366		
	बालापुरा तह. आसींद	167, 1368		
		1369, 1370		
		1371, 1377		
2.	कमलादेवी, लादूलाल, मुरली	1378, 1377	1916	4.20
	मनोहर पिता लक्ष्मीनारायण व्यास	1461, 1 मी.		
	नि. बालापुरा तह. आसींद	1382, 1383		
		1417, 1418		
		1419, 1421		
		1389, 1386		
		1387		
		1387 मी., 1388 मी.	2919	2.90
		1406		
		1421 मी., 1418		
		1419, 1420		
		1424		
		1390, 1391	2921	0.58
		1392, 1393		
		1394, 1398	2922	0.78
		1395		
		1396	2923	0.32
		1398, 1402	2924	0.46
		1397	2925	0.40
		1412	2926	0.40
3.	कमला देवी पत्नी लादूलाल व्यास	1315	2950	0.68
	नि. बालापुरा	1358, 1359	2951	0.80
		1359	2952	0.17

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	साबिक नं.	हाल ख.नं.	वर्तमान में अतिक्रमण साद रकबा (ह.)
4.	श्रीमती विजयलक्ष्मी/लादूलाल	1360	2953	0.53
	व्यास नि. बालापुरा	1352	2956	1.04
5.	श्री लक्ष्मीनारायण/घीसूलाल	1464/ 2 मी.	2210	5.00
	व्यास नि.बालापुरा		चारागाह	
		52	16	35.97

नोट–तहसील क्षेत्र आसींद में अब नवीन बन्दोबस्त रेकार्ड लागू हो चुका है। अतः अतिक्रमण की रिपोर्ट गत वर्ष नये अभिलेख के आधार पर हुई है। वर्तमान में उक्त में (तालाब में) पानी भरा हुआ होने से ना. क. की कार्यवाही नहीं हुई है। अर्थात् नाजायज कब्जा नहीं किया गया है।

आर. टी. एक्सपोर्ट बून्दी द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण

51. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी में आर. टी. एक्सपोर्ट द्वारा राजकीय सिवायचक की 15 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हाँ, तो खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसीलदार, बून्दी द्वारा आर. टी. एक्सपोर्ट पर 2307/- रुपये की शास्ति आरोपित करके भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त को कब तक बेदखल कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि आर. टी. एक्सपोर्ट द्वारा ग्राम देवपुरा तह. बूंदी की आराजी ख. नं. 859 मी. रकबा 15 बिस्वा पर अतिक्रमण किया गया है।

(2) तहसीलदार बूंदी द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन कार्यवाही कर आर. टी. एक्सपोर्ट पर भूमि ख. नं. 859 मि. रकबा 15 बिस्वा पर अतिक्रमण के जुर्म में सं. 2049 के लिये शास्ती की राशि रुपये 19/- आरोपित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदत्त किये गये हैं।

उक्त आदेश के विरुद्ध आर. टी. एक्सपोर्ट द्वारा अपर न्यायालय में अपील दायर कर दी जाने के कारण यथास्थिति रहने के उपरान्त गत माह अपील में निर्णय होकर उक्त आदेश को बहाल रखा गया है। तहसीलदार बूंदी द्वारा अब शीघ्र कार्यवाही कर भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा।

ग्राम गेवां (जोधपुर) की भूमि के नामान्तरकरण में परिवर्तन

52. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर ज़िले की तहसील जोधपुर के ग्राम गेवां का मूल नामान्तरकरण

(७२)

(श्री कुबेर सिंह)

संख्या 61 नामान्तरकरण पंजिका से गायब कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर एक फर्जी नामान्तरकरण उक्त नामान्तरकरण पंजिका में डाल दिया गया है? जिसमें खसरा नं. 778 अंकित किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि पटवार मण्डल गेवां के उक्त फर्जी नामान्तरकरण के कालम संख्या 14 में हस्ताक्षर के नीचे पटवारी जोधपुर लिख हुआ है तथा पटवारी निरीक्षक एवं तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर किये गये हैं?

(3) क्या सरकार उक्त फर्जी दस्तावेज बनाने वालों तथा उसके कालम संख्या 11 में अंकित नामों के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, प्रथम दृष्टा हस्ताक्षर जाली पाये गये हैं।

(3) खसरा नं. 778 ग्राम गेवां के संबंध में गिरदावरी में ओवर राईटिंग की गयी थी जिसे तहसीलदार, जोधपुर ने सूक्ष्म जांच कर अपने आदेश सं. भु. अ/2170 दि. 31.7.85 अनुसार विलोपित कर दिया है। इस प्रकरण की विस्तृत जांच उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में मृतक जागीरदार के नाम आवंटित भूमि प्रकरण

53. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में शिकारगाह (फुलासती की धार) नामक वन भूमि में किसी मृतक जागीरदार को अनियमित आवंटन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस उक्त भू-आवंटन से कितने ग्रामों के लोग प्रभावित हुए?

(3) क्या इस आवंटन प्रकरण में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया? इन लोगों का क्या दोष था?

(4) क्या इस अवैध आवंटन को निरस्त करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यही सही है कि भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ तहसील में शिकारगाह ग्राम की निम्नांकित आराजियात भूतपूर्व जागीरदार श्री भैरू शंकर पुत्र श्री देवीलाल जोशी निवासी, उदयपुर को खुदकाश्त हेतु भूमि का आवंटन दिनांक 7.3.94 को किया गया—

आराजी संख्या	रकबा	
	बीघा	बिस्वा
13	43	15
14	06	05
21	06	05
22	06	05
23	04	10
24	04	05
39	06	05

(राजस्व मंत्री)

40	06	05
41	06	05
किता 9 योग रकबा 90 बीघा		

उक्त आवंटन भूमि वनभूमि थी अथवा नहीं थी और किया गया आवंटन अनियमित होने अथवा न होने बाबत जाँच/सुनवाई की जा रही है।

(2) इस उक्त भू आवंटन में किसी भी ग्राम के व्यक्ति प्रभावित नहीं हुये, क्योंकि ग्राम शिकारगाह गैर आबाद ग्राम हैं।

(3) जी हां, इस आवंटन प्रकरण में आवंटित भूमि के मौके की स्थिति एवं कब्जे की कार्यवाही में प्राथमिक स्तर पर निम्न अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये जिससे उन्हें निलम्बित किया गया—

1. श्री जगदीशनारायण बैरवा अति. तहसीलदार बिजौलिया
2. श्री गोविन्ददास जोशी भू. अ. निरीक्षक सलावटिया
3. श्री नाथूलाल शर्मा (पटवारी हल्का बिलस्वा)

(4) इस आवंटन की वैधता के संबंध में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 19 बी के तहत राज्य सरकार के समक्ष जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 15-10-94 नियत है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम हुडास (नागौर) की भूमि पर नाजायज कब्जा

54. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हुडास, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के खसरा नम्बर 611 और 624 की भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है तथा इसकी मौका रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने तहसीलदार, लाडनूं को दिनांक 11.7.1994 को दी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, लाडनूं ने अब तक क्या कार्यवाही की? मौका रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह भूमि सार्वजनिक नाडी के आंगोर की भूमि है? यदि हां, तो इस पर किये गये अतिक्रमण पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? सरकार द्वारा इस प्रकार की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने व हटाने के संबंध में राजस्व अधिकारियों को क्या निर्देश दे रखे हैं और उनकी कहां तक पालना हो रही है?

(3) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिये हैं और किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी निश्चित की है? यदि हां, तो इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब यह अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा और भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे तथा पिछले वर्ष जिनका अतिक्रमण इसी भूमि से हटाया था उन्होंने फिर अतिक्रमण किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(७५)

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम हुडास तह. लाडनूं, जिला नागौर के ख. नं. 611 और 624 की भूमि पर नाजायज कब्जा हुआ है। यह भी सही है कि राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार, लाडनूं को दि. 11.7.94 को मौका रिपोर्ट दी। तत्पश्चात पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट दी। तहसीलदार, लाडनूं ने धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत मामला दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस दिया जिसकी आगामी पेशी ता. 23.9.94 है। प्रति मौका रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि यह भूमि सार्वजनिक नाडी के अंगोर की भूमि है। इस पर किये गये अतिक्रमण की राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच करायी गयी। इस प्रकरण की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उप धारा 6 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये जा चुके हैं। पालना में नोटिस दिये हुये हैं। कार्यवाही गैर कार हैं।

(3) जी हां, राज. भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम 1992 में अतिक्रमण हटाने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही पर 1 माह की सिविल जेल और 1000/- रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन राज. राजपत्र के विशेषांक दि. 3.12.92 में हो चुका है।

(4) ग्राम हुडास के ख. नं. 611 व 624 पर अतिक्रमण को 23.9.94 अथवा कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये एक और अवसर प्रदान करते हुये शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाएगा। पुनः अतिक्रमण होना प्रमाणित होने पर न्यायालय के द्वारा सिविल कारावास की सजा भी जा सकती है।

(प्रति/रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूमि विकास बैंक, बून्दी का ऋण प्रकरण

55. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम गम्भीरी, जिला बून्दी के व्यक्तियों ने भूमि विकास बैंक, बून्दी से ऋण प्राप्त कर रखा है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी राशि का? व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त व्यक्तियों द्वारा ली गई ऋण राशि का ब्याज, मूल राशि में ब्याज मिलाकर लगाया गया है? यदि हां, तो कब तक की अवधि का?

(3) उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि बैंक से प्राप्त की गई तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में ऋणी द्वारा जमा करवाई गई है? ऋणीवार एवं तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, 11 व्यक्तियों को कुल 49,000/- रुपये का ऋण वितरण किया गया। व्यक्तिवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) संलग्न सूची में अंकित वर्ष 67-68 एवं 68-69 में ऋणियों को बैंक द्वारा नवकूप निर्माण, कूप मरम्मत एवं कच्चा पक्का बंधा निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाई गयी थी तथा ऋणियों द्वारा वापस जमा कराई गयी राशि का मदवार ऋणीवार तारीख सहित विवरण सूची में अंकित है एवं खातों की फोटो प्रतियां संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला जोधपुर में प्रस्तावित 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन

56. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मण्डल का 33 के. वी., जी. एस. एस. के निर्माण का क्या आधार है?

(2) जोधपुर जिले में कहां-कहां पर 33 के. वी., जी. एस. एस. स्वीकृत हैं? कहां-कहां पर निर्मित हो चुके हैं एवं कहां-कहां के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जोधपुर जिले के गांवों क्रमशः खोगटा, रिया, उदलियावास में 33 के. वी., जी. एस. एस. के निर्माण के प्रस्ताव विद्युत मण्डल के पास विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 33 के. वी. उप-चौकी के निर्माण के निम्न आधार हैं—

1. वर्तमान व भविष्य में विद्युत भार।

2. 11 के. वी. फीडर के छोर पर वोल्टेज रेग्यूलेशन व डिमाण्ड लांस की निर्धारित सीमा को पार करना।

3. उप संचारण व वितरण व्यवस्था में विद्युत क्षय में कमी।

4. अन्य वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे दूसरे सर्किट की स्थापना या दूसरे सर्किट से लोड देना) की अनुपलब्धता व वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता।

5. ई. एच. वी. उप केन्द्रों से दूरी।

6. भार केन्द्र

7. आधारभूत ढांचा व राईट आफ वे।

(2) जोधपुर जिले में वी. जी. एस. कॉलोनी चन्द्राख, कमला नेहरू नगर, कोठी - बगदशनी, पाल, गजसिंहपुर व मोगरा कलां में 33 के. वी. के सब स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं जो निर्माणाधीन हैं। 33 के. वी. सब स्टेशन मालोडा, बुचकलां, बनाड एवं रालावास के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खोगटा, रिया एवं उदलियावास में 33/11 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण तकनीकी दृष्टि से वर्तमान में आवश्यक नहीं है। केवल कुछ ग्रामों की 11 के. वी. लाइन को विभक्त करने पर विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सकेगा। भविष्य की मांग के अनुसार यदि तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता होगी तो उक्त ग्रामों में 33/11 के. वी. सब स्टेशन निर्माण हेतु विचार किया जावेगा।

राज्य विद्युत मण्डल की हानि को कम करने हेतु प्रयास

57. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को अब तक कुल कितना घाटा हो चुका है ?

(2) मण्डल को होने वाली हानि के मुख्य-मुख्य कारण क्या रहे हैं ?

(3) विद्युत मण्डल को होने वाली हानि को कम करने के लिए मण्डल द्वारा अथवा सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को वित्तीय वर्ष 1993-94 के अन-अंकेक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1993-94 की समाप्ति तक कुल 459.13 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है।

(2) विद्युत मण्डल को निरन्तर होने वाली हानि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं—

(अ) विद्युत मण्डल के पास स्वयं के ऊर्जा उत्पादन स्रोतों की कमी है जिससे विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पड़ौसी राज्यों एवं केन्द्रीय स्रोतों से महंगी दरों पर ऊर्जा क्रय करनी पड़ रही है।

(ब) वित्तीय वर्ष 1994-95 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार विद्युत की लागत उपभोक्ता छोर तक 179.22 पैसा प्रति इकाई पड़ती है जब कि विद्युत दरों के बिलिंग माह जून, 1994 से संशोधन के बाद भी राजस्व प्रति इकाई 144.18 पैसा ही प्राप्त होता है। अतएव मण्डल को प्रति इकाई विक्रय पर 35.04 पैसा नुकसान उठाना पड़ता है।

(स) मण्डल द्वारा घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरें लागत से अत्यधिक कम होने के कारण मण्डल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

(द) राज्य के निर्माण के समय की एवं पुरानी पड़ गई प्रेषण लाईनों के कारण भी होने वाली छीजत से मण्डल को घाट पड़ रहा है, जिन्हें मण्डल अपने सीमित आर्थिक साधनों से बदलकर प्रेषण तंत्र को मजबूत कर रहा है।

(इ) असामाजिक तत्वों द्वारा मण्डल के प्रेषण लाइनों से सीधे ही तार डाल कर बिजली की चोरी कर लेने के कारण भी मण्डल को घाटा उठाना पड़ रहा है जिसे रोकने के लिये मण्डल ने निदेशक (सतर्कता एवं जांच) के अधीन दलों का गठन किया है जिसके अपेक्षित परिणाम रहे हैं।

(ई) विद्युत मण्डल में घाटे का एक कारण मण्डल द्वारा महंगी ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करना भी है।

(3) मण्डल को होने वाली हानि को कम करने के लिये राज्य सरकार एवं विद्युत मण्डल द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार है—

<u>(अ) राज्य सरकार द्वारा</u>

(क) राज्य सरकार ने 623.09 करोड़ रुपये के विद्युत मण्डल के बकाया ऋणों का हिस्सा

(ऊर्जा मंत्री)

पूंजी अंश में परिवर्तित किया है जिसके फलस्वरूप विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष करीबन 52 करोड़ रुपयों की ब्याज देनदारी कम हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत मण्डल ने राज्य सरकार से प्राप्त बकाया ऋणों में से 817.50 करोड़ रुपये की राशि को हिस्सा पूंजी में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित है जिसका अध्ययन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार समय-समय पर बिजली की दर बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करती है, जिससे मण्डल को होने वाली हानि की राशि में कमी होती है।

(ग) राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल को 3% लाभ अर्जित करने के लिये निम्नलिखित अनुदान दिया है—

1991-92	162.81	करोड़ रुपये
1992-93	281.58	"
1993-94	383.83	"
1994-95	199.02	" का प्रावधान किया है।

(आ) विद्युत मण्डल द्वारा

(क) निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप मण्डल ने वर्ष 1992-93 में कोटा तापीय विद्युत गृह के लोड फैक्टर को 1991-92 के लोड फैक्टर 66.35% से वर्ष 1992-93 में 77.01% तक बढ़ा दिया है तथा वर्ष 1993-94 में लोड फैक्टर को 80.96% मार्च, 1994 तक बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप विद्युत मण्डल को अन्य महंगे स्रोतों के मुकाबले कम दरों पर अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो रही है।

(ख) विद्युत तंत्र में छीजत को कम करने के लिये विभिन्न प्रयास कियेगये हैं तथा किये जा रहे हैं—

1. विद्युत प्रसारण लाइनों को उच्च क्षमता में परिवर्तन व उप-प्रसारण तंत्र का विकास।

2. उचित भार केन्द्रों पर शंट केपेसीटर स्थापित करना।

3. बन्द एवं क्षतिग्रस्त मीटरों को उपभोक्ताओं के परिसर में जांच करना एवं बदलना और छेड़छाड़ रहित (हैम्पर पूंफ) मीटर बक्सों का प्रावधान करना।

4. छः परिसंचालन एवं वितरण वृत्तों के लिये "प्रणाली सुधार" हेतु दीर्घकालीन योजना बनाई गई है।

5. कम शक्ति के ट्रान्सफार्मर जिनकी वर्ष 1991-92 में संख्या 78000 थी वह लगभग 110000 हो गई है तथा 33/11 के. वी. उप-चौकी पर 3.15 एम. वी. ए. ट्रान्सफार्मर लगाने का निर्णय किया है ताकि विद्युत दाब रूपान्तरण से होने वाली हानि कम की जा सके।

6. ऊर्जा ह्रास के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये तकनीकी अंकेक्षण तन्त्र का निर्णय किया है।

(ग) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विद्युत चोरी व अनियमितता रोकने के लिये सुरक्षा एवं सतर्कता कार्यालय कार्यरत हैं जिसके निदेशक भारतीय पुलिस सेवा के एक

78

(ऊर्जा मंत्री)

अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले की जांच के लिये विशेष अधिकारी सतर्कता कार्यरत हैं। विगत तीन वर्षों में इस शाखा द्वारा किये गये राजस्व निर्धारण की उपलब्धि निम्न प्रकार है—

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1991-92	265.42
1992-93	2688.70
1993-94	402.31

(घ) प्रत्येक वृत्त स्तर पर बकाया राजस्व वसूली प्रकोष्ठ खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल ने विवादित बकाया राशि की वसूली के मामलों को सुलझाने के लिये त्रि-स्तरीय समितियों का गठन किया है।

(च) राज्य विद्युत मण्डल ने वित्तीय वर्ष 1980-81 से मण्डल में कुछ तकनीकी व आवश्यक पदों को छोड़कर, नवीन भर्ती पर रोक लगा रखी है। फलस्वरूप मण्डल की संस्थापन लागत वर्ष 87-88 के 26.19% के मुकाबले वर्ष 1993-94 में राजस्व की तुलना में 16.67% रह गई है, जिसे और कम करने के लिये मण्डल प्रयासरत हैं।

सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कृषि कनेक्शनों हेतु लम्बित प्रकरण

58. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कितने प्रार्थना-पत्र कृषि कनेक्शनों के लम्बित हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें लक्ष्य आवंटन होने के बाद जिन्हें मांग-पत्र जारी नहीं किये गये, ऐसे कितने-कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आवंटन असमानता को मिटाने के लिए लक्ष्य आवंटन के बाद लक्ष्य पूर्ति न करने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

(4) क्या सरकार ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को जिन्होंने लक्ष्य के अनुसार तखमीने नहीं बनाये, क्या उनकी पदोन्नति रोकने का निर्देश देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिला वृत्त, जयपुर के अधीनस्थ सहायक अभियन्ता कार्यालयों में वर्ष 31 मार्च, 1994 तक कुल 37,213 प्रार्थना पत्र कृषि कनेक्शनों हेतु शेष थे। वर्ष 1982-83 से वर्ष 1993-94 तक की वर्षवार संख्या सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) मण्डल द्वारा समय-समय पर लक्ष्यों के अनुरूप मांग पत्र जारी किये गये हैं। लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 1993-94 में केवल दो कनेक्शनों के मांग-पत्र कोर्ट-स्टे के कारण सांभर उपखण्ड में जारी नहीं किये जा सके हैं।

(3) जयपुर जिला वृत्त में लक्ष्यों के अनुरूप मांग पत्र जारी किये गये हैं इसलिये किसी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) लक्ष्यों के अनुरूप एस्टीमेट बनाने के पश्चात ही मांग पत्र जारी किये जाते हैं। चूंकि कोई मांग पत्र शेष ही नहीं हैं अतः किसी अभियन्ता की पदोन्नति रोकने का प्रश्न ही नहीं है।

31.3.1994 तक बकाया प्रार्थना पत्रों की सूची

क्र.स.	उपखण्ड का नाम	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	कुल योग
1.	जमवारामगढ़	6	15	85	60	76	124	248	199	110	120	156	118	1317
2.	आमेर	2	19	26	29	38	131	246	207	60	85	123	145	1111
3.	शाहपुरा	1	14	51	54	60	128	212	239	45	81	172	238	1295
4.	सांभर	39	92	70	62	64	180	211	189	60	39	82	119	1207
5.	विराटनगर	4	119	133	41	53	110	84	145	35	74	148	191	1137
6.	दूदू	70	61	99	53	65	95	128	129	51	70	168	134	1123
7.	रेनवाल	252	443	265	176	253	339	679	675	49	119	137	244	3631
8.	विश्वकर्मा औ. क्षेत्र	1	40	60	96	137	147	185	236	35	78	168	173	1356
9.	भांकरोटा	13	13	15	15	125	118	215	119	50	88	221	220	1212
10.	सांगानेर	—	—	6	14	54	105	112	116	20	86	141	163	817
11.	चाकसू	56	107	99	163	78	133	156	82	40	143	148	141	1346
12.	फागी	22	51	130	101	189	143	130	73	8	28	97	191	1163
13.	चौमूं (ओ एण्ड एम)	40	85	169	170	127	147	254	317	109	83	197	270	1968
14.	चौमूं (आर ई सी)	14	87	70	66	53	109	141	278	59	64	220	325	1486
15.	गोविन्दगढ़	45	110	81	87	117	162	176	201	152	95	90	224	1540
16.	राडावास	—	3	22	58	46	79	89	83	28	35	54	101	598
17.	दौसा (ओ एण्ड एम)	23	17	14	12	14	9	58	72	65	47	55	83	469
18.	दौसा (आर ई सी)	38	55	64	32	31	70	47	139	62	132	182	218	1070
19.	बान्दीकुई	51	155	115	117	139	178	223	469	88	169	241	259	2204

क्र.स.	उपखण्ड का नाम	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	कुल योग
20	सिकराय	23	4	23	49	8	66	222	347	69	345	332	351	1839
21.	बस्सी	36	55	83	116	88	165	168	221	551	361	392	268	2504
22.	लालसोट	220	194	257	228	161	309	456	564	310	283	198	444	3624
23.	महुवा	10	6	4	17	13	38	159	294	295	136	121	217	1310
24.	कोटपूतली	28	61	98	133	216	324	265	181	154	88	128	210	1886
	कुल योग	994	1806	2039	1949	2205	3409	4864	5575	2505	2849	3971	5047	37213

विद्युत शुल्क में वृद्धि

59. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इसी वित्तीय वर्ष में विद्युत शुल्क में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? सम्पूर्ण टेरिफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के औद्योगिक घरानों में विद्युत शुल्क की भारी बकाया चल रही है ? यदि हां, तो उसकी वसूली के क्या प्रयास चल रहे हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 में विद्युत उत्पादन के नये प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विद्युत उत्पादन कार्य में निजी कम्पनियों का भी प्रवेश किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन निजी कम्पनियों को और किन-किन शर्तों पर ?

उत्तर

(1) जी हां, बिलिंग माह जून, 1994 से विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में वृद्धि की गई है। वृद्धि से पूर्व तथा उसके पश्चात का तुलनात्मक विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जून, 1994 के अन्त तक मण्डल के औद्योगिक उपभोक्ताओं (सरकारी विभागों यथा रेल्वे, जलदाय विभाग आदि को छोड़ कर), में जिनके पास उच्च तापीय (एच. टी.) विद्युत सम्बन्ध हैं, कुल 12587.05 लाख रुपये बकाया थी। इसमें से लगभग 46.80% (5890.99 लाख रुपये) न्यायालयों में लम्बित मामलों में लिप्त हैं, लगभग 35.22 प्रतिशत (4433.53 लाख रुपये) ऐसे उपभोक्ताओं में हैं, जिनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद पड़े हैं तथा लगभग 15.03 प्रतिशत (1890.87 लाख रुपये) ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित हैं जिनके मामले ई. यं. डी. आर. एक्ट के तहत संबंधित जिलाधीशों के पास वसूली हेतु लम्बित हैं। न्यायालयों में लम्बित उक्त बकाया में लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि विद्युत शुल्क (ई. डी.) से सम्बन्धित है, जिनके वाद/प्रकरण न्यायालयों में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभारी अधिकारियों द्वारा संचालित किये जाते हैं क्योंकि विद्युत शुल्क राज्य सरकार की राजस्व है।

मण्डल द्वारा बकाया राशि वसूल करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मण्डल के हर वृत्त में एक अधिशासी अभियन्ता (वसूली) तैनात कर रखा है, जिसे उपभोक्ताओं से वसूली का कार्य सौंपा गया है। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में मुख्य बाधा उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में आती है जिन्होंने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं तथापि इन न्यायिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु मण्डल के प्रभारी अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद पड़े उपभोक्ताओं से वसूली तभी संभव हो पाती है, जब वे अपनी इकाई को पुनः चलाने हेतु आवेदन करते हैं। राज्य सरकार एवं मण्डल ने

(ऊर्जा मंत्री)

ऐसी रुग्ण इकाईयों एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं को पुर्नजीवन देने हेतु दिनांक 4/7.3.1989 एवं 24.7.1990 को आदेश जारी किये हैं, जिसके तहत अनेक सुविधायें प्रदान की गई हैं, जिनमें न्यूनतम चार्ज में छूट, ब्याज दर में राहत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर ई.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली करने हेतु सम्बन्धित जिलाधीशों को लिखा जाता है। इस बकाया में कुछ ऐसे एच.टी.उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया भी शामिल हैं जो निश्चित तिथि के पश्चात् भुगतान करते हैं, या तो 7 दिन के नोटिस के दौरान अथवा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने के पश्चात ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया राशि मासिक लेखों में बकाया में अंकित हो जाती है लेकिन भुगतान होने के पश्चात् इसका विनियोजन खातों में हो जाता है।

(3) इन पांच वर्षों में राज्य में चालू की गई, निर्माणाधीन तथा स्वीकृत व विचाराधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(4) जी हां, विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1993-94 में वृक्षारोपण

60. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1993-94 में वृक्षारोपण के लिये सरकार द्वारा कितना पैसा दिया गया और उसका क्या उपयोग किस मद में हुआ, कितने पेड़ लगे, कितने वर्तमान में मौजूद हैं, कितने नष्ट हो गये? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में वृक्षारोपण किया गया? कितनी राशि व्यय की गई? वर्ष 1993-94 में कौन-कौन से ग्रामों में सरकार वृक्ष लगवाना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में वृक्षारोपण हेतु वर्ष 1993-94 में रुपये 39.24 लाख आवंटित किये गये। जिसमें से 37.26 लाख रुपये 7.24 लाख वृक्ष लगाने उनके संधारण तथा 75 हैक्टर क्षेत्र में मृदाकार्य कराने में उपयोग के लिए गये। लगभग 70 प्रतिशत पौधे वर्तमान में जीवित हैं तथा लगभग 30 प्रतिशत पौधे नष्ट हो गये सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 93-94 में ग्राम पोलेटा, तिमावा, खोपली, रायसना एवं खोहरा में वृक्षारोपण किया गया जिस पर 16.33 लाख रुपये व्यय हुए।

(83)

सूची

जिला सवाई माधोपुर के अधीन वर्ष 1993-94 में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पौधारोपण, जीवित पौधे व नष्ट हुए पौधों की कार्यवार सूचना।

कार्यस्थल	क्षेत्रफल (हैक्टर)	वृक्षारोपण कार्य पर स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	लगाये गए पौधे	वर्तमान में मौजूद (लगभग)	नष्ट हुए पौधे (लगभग)
बनोटा माता (सिल्वी पै.)	15	33900	33901.00	3000	1735	1265
नाहरी बैरवा	15	33900	33899.95	3000	1218	1732
मकसूदनपुरा	15	34300	34299.55	3000	1802	1198
हटवाल की तलाई	15	33900	33900.00	3000	1625	1375
नाहरी गुजरा (ईधन)	15	69750	69727.45	16500	9000	7500
बनोटा द्वितीय	10	46500	46495.00	11000	8350	2650
मकसूदनपुरा	25	116250	116172.60	27500	17875	9625
सलेमपुर-I	20	93000	92887.00	22000	14000	8000
सलेमपुर-II	30	139500	133333.50	33000	23000	10000
तेजा की टापरी (आरडीएफ)	25	52750	51133.30	17500	8800	8700
सांवरी नाला	25	52750	48033.00	17500	13500	4000
भोज्या की गुवाडी	25	52750	53044.00	17500	11500	6000
कुआं गांव	25	52750	54286.00	17500	12220	5280
थडी (आरबीएच)	25	115500	105821.50	27500	21275	6225
नानेटा खेडा	20	92400	80809.20	22000	15400	6600
रामगढ़ पुराडा	30	138600	131114.80	33000	23000	10000
आंतरो बंजारो	25	115500	90083.00	27500	15000	12500
सामोली "सी" (सी.एस.एस)	30	90000	103695.40	24000	15591	8409
सांकडा	20	60000	76366.35	16000	9618	6332
चावण्ड (भू-संरक्षण)	50	110000	108318.30	25000	12575	12425
तिमावा (डीपीएपी)	80	505000	495441.00	88000	69000	19000
खोयली	50	296000	267005.00	55000	45500	9500
रायसना	30	182000	183494.00	33000	26500	6500

कार्यस्थल	क्षेत्रफल (हैक्टर)	वृक्षारोपण कार्य पर स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	लगाये गए पौधे	वर्तमान में मौजूद (लगभग)	नष्ट हुए पौधे (लगभग)
धोलेटा की डूंगरी	40	259000	282065.00	44000	37500	6500
खोहरा (जे.आर.वाई)	75	405000	405579.95	32500	61000	21500
मैगरी	50	110000	110381.00	25000	12500	12500
बाघ परि. (बफर) सवाईमाधोपुर		133000	133838.00	30000	22050	7950
ओघर	75	500000	351315.00	–	मात्र अग्रिम मृदा कार्य हुआ	
		3924000	3726439.85	724500	510934	213366
					70.5%	29.5%

उदयपुर वाटी (झुन्झुनूं) में अरावली योजनान्तर्गत वृक्षारोपण

61. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंन्झुनूं जिले की उदयपुर वाटी तहसील के किन-किन गांवों में कितना-कितना क्षेत्र अरावली योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) माह अगस्त, 1994 तक किस गांव में कितने गड्ढ़े खोदे गये तथा कितने-कितने वृक्ष लगाये गये तथा किस-किस गांव में कितनी धनराशि व्यय की गयी?

(3) प्रति गड्ढ़ा खोदने तथा प्रति पौधा रोपने पर किस दर से भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) झुंन्झूनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील अरावली वृक्षारोपण योजनान्तर्गत लिए गये ग्रामों की सूची मय क्षेत्रफल के परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) माह अगस्त, 94 तक उक्त ग्रामों में खोदे गये गड्ढों, लगाये गये पौधों एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "घ" में दर्शा दिया गया है।

(3) प्रति गड्ढ़ा खोदने एवं प्रति पौधा रोपने पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

झुंन्झूनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में अरावली योजना के अन्तर्गत खोदे गये गड्ढों, लगाये गये पौधों एवं कुल की गयी व्यय राशि का ग्रामवार विवरण।

क्र.सं. नाम ग्राम	कुल वृक्षारोपण क्षेत्रफल	गड्ढों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	अगस्त, 94 तक कुल व्यय राशि (रुपये लाख)
1. मनकसास	150 है.	81080	81080	10.80
2. खोह	150 है.	120510	120510	13.23

क्र.सं. नाम ग्राम	कुल वृक्षारोपण क्षेत्रफल	गड्ढों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या	अगस्त, 94 तक कुल व्यय राशि (रुपये लाख)
3. कोट	350 है.	250383	250383	27.94
4. धोलामेड़	50 है.	24376	24376	2.81
5. बागोली	100 है.	90252	90252	9.36
6. सिगनोर	20 है.	22000	22000	2.45
7. मोड़की	60 है.	66000	66000	5.98
योग :	880 है.	654601	654601	72.57

प्रति गड्ढ़ा खोदने एवं प्रति पौधा रोपने पर व्यय राशि :

क्र. सं.	कार्य	दर (रुपये)
1.	गड्ढे खोदना	
	(1) रेतीली मिट्टी	0.50 प्रति गड्ढ़ा
	(2) बालुई दुमट मिट्टी में	0.85 प्रति गड्ढ़ा
	(3) चिकनी दुमट मिट्टी में	1.00 प्रति गड्ढा
	(4) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत तक वोल्डर्स हो	1.35 प्रति गड्ढा
	(5) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्डर्स हो	1.80 प्रति गड्ढा
	(6) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें मुरड़ व कंकड हो	2.00 प्रति गड्ढा
2.	पौधारोपण प्रति पौधा	रुपये 1.66 से 2.73 प्रति पौधा

एसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी के पक्ष में लीज के नवीनीकरण के प्रस्ताव

62. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ऐसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी के पक्ष में खनन कार्य हेतु स्वीकृत लीज के नवीनीकरण के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री, बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से 25 किलोमीटर की परिधि में आती है? यदि हां, तो उक्त अभ्यारण्य से फैक्ट्री तथा फैक्ट्री के पक्ष में भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित खनन लीज की दूरी कितनी-कितनी है?

86

उत्तर

(1) जी हां, ऐसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री लाखेरी के पक्ष में खनन लीज के नवीनीकरण/कार्य करने की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुये है :—

(I) केमली-कोटड़ी-माइन्स
(II) लाखेरी माईन्स
(III) सन्डाल नाला माईन्स

(प्रस्ताव की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।)

(2) जी हां। एसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के 25 कि.मी. की परिधि में आती है। अभ्यारण्य में उक्त फैक्ट्री एवं फैक्ट्री के पक्ष में भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित खनन लीज क्षेत्रों की दूरी निम्नानुसार है :—

क्र.सं. विवरण	दूरी
1. एसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी से अभ्यारण्य की निकटतम दूरी	19 किमी
2. केमली-कोटडी माइन्स के प्रस्तावित खनन क्षेत्र की रामगढ़ अभ्यारण्य से निकटतम दूरी।	16 किमी. 500 मी.
3. लाखेरी माइन्स के प्रस्तावित खनन क्षेत्र की रामगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र से निकटतम दूरी।	16 किमी.
4. सन्डाल नाला माइन्स के प्रस्तावित खनन क्षेत्र की रामगढ़ अभ्यारण्य से निकटतम दूरी।	21 किमी 500 मी.

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

केन्द्र सरकार द्वारा परिचालित अधिनियम

63. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कन्जर्वेशन आफ फारेस्ट एण्ड नेचुरल इको सिस्टम एक्ट (प्रारूप) परिचालित किया गया है?

(2) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम के प्रारूप के सम्बन्ध में अपनी राय से भारत सरकार को अवगत करा दिया है? यदि हां, तो भारत सरकार को भेजी गयी सरकार की सम्मति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर) की पुनर्गठित ग्राम पंचायतें

64. **श्री मोतीलाल (रूपवास)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में वर्तमान पुनर्गठित सहित कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोतीलाल)

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में से किस-किस पंचायत को अनुसूचित जाति व जन जाति तथा महिला पंचायत व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत धिनाई में कुल कितने वार्ड बनाये गये हैं? इन वार्डों में से अनुसूचित जाति, जन जाति व महिलाओं के लिए कौन-कौन से वार्ड आरक्षित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, गोविन्दगढ जिला जयपुर में वर्तमान पुनर्गठित सहित कुल 42 ग्राम पंचायतें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति व जन जाति तथा महिला पंचायत व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

(3) ग्राम पंचायत धिनाई में कुल 15 वार्ड बनाये गये हैं। इन वार्डों में से अनुसूचित जाति, जन जाति व महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण का कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

सूची

नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों का नाम
गोविन्दगढ़	1. महारकला
	2. जाटावाली
	3. नागल भरड़ा
	4. हाडोता
	5. हाथनोदा
	6. सिगोदकला
	7. सिगोदखुर्द
	8. सादरसा
	9. आलीसर
	10. टाकरड़ा
	11. जयसिंहपुरा
	12. धोबलाई
	13. नांगल कला
	14. भूतेड़ा
	15. ढोढसर

नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों का नाम
	16. गुडनलिया
	17. हस्तेड़ा
	18.मोरीजा
	19. अणतपुरा
	20. जैतपुरा
	21. फतेहपुरा
	22. चौथवाडी
	23. कुशलपुरा
	24. सामोद
	25. विजयसिंहपुरा
	26. मंडाभीण्डा
	27. खजरोली
	28. नांगलकोजू
	29. निवाण
	30. तिगरिया
	31. अबरपुरा
	32. उदयपुरिया
	33. इटावा भोपजी
	34. नांगल गोविन्द
	35. किशनपुरा
	36. धिनोई
	37. आस्टी कलां
	38. लोहरवाड़ा
	39. अणतपुरा
	40. मलिकपुर
	41. गोविन्द गढ़
	42. कालाडेरा

पंचायत समिति जायल (नागौर) की पुनर्गठित ग्राम पंचायतें

65. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति जायल, जिला नागौर में वर्तमान पुनर्गठित सहित कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

श्री मोहनलाल बारूपाल)

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में से किस-किस पंचायत को अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला पंचायत व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जायल जिला नागौर में वर्तमान में पुर्नगठित सहित कुल 45 ग्राम पंचायतें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अभी तक ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति व जन जाति तथा महिला पंचायत व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित करने का कार्य नहीं किया गया है।

सूची

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
जायल	1. कमैडिया
	2. खैराट
	3. सोनेली
	4. रालेगा
	5. बुगरडा
	6. टागला
	7. डीडयाकलां
	8. वौडवा
	9. रूपाथल
	10. रोटू
	11. गोरास
	12. दुगस्ताऊ
	13. क्षारणा
	14. मांगलौद
	15. डेहरी
	16. गैलोली
	17. जायल
	18. खियाला
	19. डुगोली
	20. कठौती
	21. जौचीणा

(९०)

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों का नाम
	22. बरनेल
	23. लूणसरा
	24. अडवड
	25. तरनाऊ
	26. फरडौद
	27. रोल
	28. सोयणा
	29. भावंला
	30. खाटुबडी
	31. राजौद
	32. आकड़ा
	33. आबलियासर
	34. जालनियासर
	35. छाजोली
	36. रोहीणा
	37. सांडला
	38. दौतीणा
	39. पीण्डिया
	40. सरपालिया
	41. गैगरियाली
	42. डेह
	43. झाडेली
	44. छापड़ी
	45. संवरी

राजस्व ग्रामों में प्राथमिक शालाओं की स्वीकृति

66. श्री भगवानदास (चौहटन) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने प्रत्येक राजस्व गांव में जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां प्राथमिक शाला खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अव तक विद्यालय नहीं खोलने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक उक्त विद्यालय खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

जी नहीं। बजट सत्र वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक तथा मरूस्थलीय क्षेत्र में 150 व इससे अधिक की आवादी वाले विद्यालय विहिन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी। विद्यालय खोलने की कार्यवाही विचाराधीन है।

सामुदायिक चिकित्सालय चौहटन में डाक्टरों के रिक्त पद

67. **श्री भगवानदास** (चौहटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक चिकित्सालय चौहटन में डॉक्टरों के सृजित 9 पदों के विरुद्ध केवल दो ही डॉक्टर कार्यरत हैं।

(2) क्या सरकार इन सभी सृजित पदों को भरने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

एस.एम.एस. कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विषय में एम.सी.एच. परीक्षा

68. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में न्यूरोसर्जरी विषय में एम.सी.एच. परीक्षा जब से प्रारम्भ हुई है तब से आज तक किसी भी छात्र को समय पर परीक्षा नहीं देने दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि किसी भी छात्र को प्रथम अवसर पर न्यूरोसर्जरी विषय में एम.सी.एच. परीक्षा में पास नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अन्य एम.सी.एच. विषयों में क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जब से न्यूरोसर्जरी विषय में एम.सी.एच. परीक्षा शुरू हुई है तभी से एक ही परीक्षक नियुक्त है ?

(4) क्या इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) विभिन्न विषयों में एक परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष तक परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है ? यदि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो क्यों ? क्या सरकार इस विषय में नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार एम.सी.एच. परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षक दो वर्ष के अन्तराल से रोटेशन से नियुक्त किये जाते हैं। परन्तु विभागाध्यक्ष हर बार संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और दो आन्तरिक परीक्षकों में से सदा ही एक परीक्षक रहता है। दूसरे आन्तरिक परीक्षक की नियुक्ति रोटेशन से की जाती है।

(4) जी हां। शिकायत की जांच कराई जा रही है।

(९२)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(5) वस्तुस्थिति क्रमांक 3 पर वर्णित कर दी गयी है। नियमों में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रम निरीक्षकों के स्थानान्तरण

69. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत छः माह में कितने श्रम निरीक्षकों के कुल कितने स्थानान्तरण किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रम निरीक्षकों के एक से अधिक बार स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो किस-किस के तथा किन कारणोंवश ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत छः माह (अर्थात् माह फरवरी, 94 से जुलाई, 94) में 52 श्रम निरीक्षकों/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों के स्थानान्तरण किए गए थे जिनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां। स्थानान्तरित निरीक्षकों की सूची मय कारण के संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

फुलेरा (जयपुर) के ग्रामों में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय

70. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की तहसील फुलेरा में कितने ग्रामों में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील फुलेरा के ग्राम रामपुरा (डूंगरी खुर्द) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के किसी भी ग्राम में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र के अलावा राज्य में कहीं भी आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का बजट प्रावधान नहीं है।

खानपुर तथा सांगोद में अतिवृष्टि से क्षति

71. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अतिवृष्टि के कारण खानपुर विधान सभा क्षेत्र तथा कोटा जिले की सांगोद तहसील में इस वर्ष कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने लोगों को सहायता राशि प्रदान करायी गयी है ?

(3) क्या कुछ परिवार इस प्रकार के भी हैं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद भी सहायता राशि का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अतिवृष्टि के कारण खानपुर विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष ग्राम सरखण्डिया, सूमर, खालपुर में 43 परिवारों की कच्ची झोपड़ियाँ नष्ट हुई है तथा कोटा जिले की सांगोद तहसील में इस वर्ष 501 मकान क्षतिग्रस्त हुए है। गांववार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(2) तहसील खानपुर के 29 परिवारों को एवं तहसील सांगोद के 471 व्यक्तियों को सहायता प्रदान करादी गई है।

(3) जी हां, तहसील खानपुर में 14 परिवारों को एवं सांगोद तहसील के 8 परिवारों को सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान न किये जाने का कारण परिशिष्ट के "ब" में अंकित कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम नकोदेसर (लूणकरणसर) में कुआ निर्माण में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता

72. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम नकोदेसर तहसील लूणकरणसर के एक किसान का निर्माणाधीन कुआ अचानक धस जाने से उसमें कार्यरत एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तथा उसका शव अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है ?

(2) क्या सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निर्माणाधीन कुआ अचानक धस जाने से कार्यरत एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) जी हां कुए में दबे व्यक्ति श्री नत्थूसिंह की पत्नी श्रीमती मुन्ना कंवर को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5000/- रुपये की तत्कालीन सहायता राशि दे दी गई है।

पशु चिकित्सालय मण्डावरी, लालसोट में चिकित्सक का रिक्त पद

73. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय मण्डावरी, लालसोट में काफी समय से पशु चिकित्सक कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में पदस्थापन शीघ्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस पशु चिकित्सक को चिकित्सालय में पदस्थापित किया गया था उसने ड्यूटी जोइन करने के बाद एक दिन भी चिकित्सालय का कार्य नहीं देखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

९५

उत्तर

(1) जी हां। पशु चिकित्सालय मण्डावरी में दिनांक 23-4-94 को डॉ. (श्रीमती) धर्मशीला को नई नियुक्ति दी गयी थी। पशु चिकित्सालय लालसोट में दिनांक 12-6-93 से डॉ. विजयसिंह कार्यरत है।

(2) पशु चिकित्सालय मण्डावरी में जब तक डिग्रीधारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डॉ. महेन्द्र कुमार भटनागर को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है।

(3) जी हां। डॉ. (श्रीमती) धर्मशीला को नई नियुक्ति दी गयी थी। उपस्थिति रिपोर्ट देने के पश्चात् अवकाश पर प्रस्थान कर गई है जो अभी तक पुनः ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुई है। विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
